मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 11

5 जुलाई 2024

फर्जी नर्सिंग कॉलेजों से किया व्यापमं से भी बड़ा घोटाला?

सारंग का मध्यप्रदेश की चिकित्सा शिक्षा से

'विश्वास' घात

विजया:)

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
विशेष संवाददाता	अर्चना शर्मा

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,
विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 24 अंक 11 05 जुलाई 2024

(पृष्ठ क्र.-6)

- सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन : कारण और जिम्मेदार कौन? 44
- छह पैमानों को अपनाकर भारत 2070 तक 50
  शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कर सकेगा प्राप्त
- वी.आई.पी. कल्चर : क्या निर्वाचित राजतंत्र है? 52
- जलवायु अनुरूप नगरों की जरूरत 57
- Why RSS is scapegoating Modi for failing to win a majority 60
- SC-ST victims of atrocities denied at least 63
  Rs. 1140 crores in relief over the period 2015-22, finds study .

छत्तीसगढ़ महतारी को
लूटने वालों को सजा दो!
छत्तीसगढ़ विधानसभा
विजया :)

आखिर कब तक होते रहेंगे ट्रेन हादसे

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुए रेल हादसे ने एक बार सरकार को कठघरे खड़ा कर दिया है। पिछले करीब तीन महीने से एक के बाद एक होती रेल दुर्घटनाओं से रेलवे के सुरक्षा प्रबंधों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हर छोटे-बड़े हादसों में रेल तंत्र की लापरवाही स्पष्ट उजागर होती रही है। लापरवाही के चलते लगातार हो रहे ऐसे रेल हादसों की फेहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार होते ऐसे हादसों से कोई सबक नहीं लिए जाते। जब भी बड़ा रेल हादसा घटित होता है तो रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठने का रटा-रटाया जवाब सुनने को मिलता है लेकिन थोड़े ही समय बाद जब फिर कोई रेल हादसा सामने आता है तो रेल तंत्र के ऐसे दावों की कलई खुल जाती है। रेल दुर्घटनाओं के मामले में भारतीय रेलों की क्या दशा है, इसका अनुमान रेल मंत्रालय के ही इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि 2019 से पहले के साढ़े चार वर्षों में 350 से भी अधिक छोटे-बड़े हादसे हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में जहां 135 रेल हादसे हुए, वहीं 2015-16 में 107 और 2016-17 में 104 रेल हादसे सामने आए।

आंकड़े भले ही बहुत लंबे हो लेकिन इन हादसों के बावजूद सरकार इनसे सबक लेने की जरूरत नहीं समझती है। रेलवे अपनी आय बढ़ाने के तमाम इंतजाम कर लेता है लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बदस्तूर जारी है।

रेलवे की स्थायी समिति द्वारा अपनी सुरक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्ष 1950 से 2016 के बीच दैनिक रेल यात्रियों में जहां 1344 फीसदी की वृद्धि हुई, वहीं माल ढुलाई में 1642 फीसदी की बढ़ोतरी हुई लेकिन इसके विपरीत रेलवे ट्रैक का विस्तार महज 23 फीसदी ही हो सका। वर्ष 2000 से 2016 के बीच दैनिक यात्री ट्रेनों की संख्या में भी करीब 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यात्री रेलों के अलावा मालगाड़ियों की भी बात करें तो अधिकांश मालगाड़ियां भी ट्रैकों पर उनकी क्षमता से कहीं अधिक भार लिए दौड़ रही हैं। रेल नियमावली के अनुमार मौजूदा ट्रैक पर 4800 से 5000 टन भार की मालगाड़ियां ही चलाई जा सकती हैं लेकिन पिछले कई वर्षों से सभी ट्रैकों पर 5200 से 5500 टन भार के साथ मालगाड़ियां दौड़ रही हैं। बेहतर होगा, रेल तंत्र पटरियों पर दौड़ती मौत रूपी भारतीय रेल के सफर को सुरक्षित बनाने की दिशा में शीघ्रातिशीघ्र कारगर कदम उठाए और रेलों में यात्रियों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हों।

विजया पाठक

फर्जी नर्सिंग कॉलेजों से किया
व्यापमं से भी बड़ा घोटाला?
डिग्री
फर्जी डिग्री
डिग्री
नर्सिंग कॉलेज
सारंग का मध्यप्रदेश की चिकित्सा शिक्षा से
विजयः)
'विश्वास' घात

आज तक के देश में हुये सबसे बड़े घोटालों में से एक मध्यप्रदेश का नर्सिंग घोटाला ने प्रदेश के नाम पर जो कालिख पोती है उसमें भाजपा के अपने ही नेता शामिल रहे हैं। शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब घोटालेबाजों ने सीबीआई जांच को ही मैनेज कर दिया हो। इसमें बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर काबीज नेता ही नरेन्द्र मोदी के खाऊंगा न खाने दूंगा वाले वक्तव्य को झूठा ठहरा रहें हैं। भाजपा के ही नेता मंत्री विश्वास सारंग ने अपने क्रियाकलापों के कारण प्रदेश की नर्सिंग सहित अन्य चिकित्सा शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सहित अन्य चिकित्सा शिक्षाओं के मान्यता देने वाली संस्थाओं को विगत 04 सालों से अपने इशारों पर नचाते रहे। फर्जीवाड़े का, घोटालों का अंबार सा पाट दिया है। नर्सिंग घोटाला तो हिमशैल की नोक के बराबर है, अभी तो चिकित्सा शिक्षा को लेकर बहुत से घोटालों का पर्दाफाश होना शेष है। मध्यप्रदेश में हुआ नर्सिंग कॉलेज घोटाला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। यह नर्सिंग घोटाला प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाला जैसा ही है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगाने वाले इस घोटाले में माफिया, नेताओं और अफसरों का गठजोड़ सामने आया है। कैसे सालों तक फर्जी नर्सिंग कॉलेज प्रदेश में संचालित होते रहे और स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगाते रहे इसकी पर्तें अब खुलनी शुरू हुई हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हुए चिकित्सा घोटाले ने फिर एक बार मोदी सरकार को शर्मिंदा कर दिया है। पहले व्यापमं में नाक कटने के बाद अब प्रदेश में नर्सिंग घोटाला सामने आया है। कोई 500 करोड़ के शुरुआती इस घोटाले में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग का नाम सामने आ रहा है। शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री काल में यह घोटाला हुआ जिसमें करीब-करीब प्रदेश के 01 लाख नर्सिंग विद्यार्थी भुगतभोगी हैं जिनके साथ भाजपा सरकार के मंत्री, चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी साफ तौर पर शामिल रहे हैं। जिसमें प्रमुख नाम मों. सुलेमान और निशांत वरवड़े का भी आ रहा है। आज मध्यप्रदेश में विश्वास सारंग के क्रियाकलापों के कारण पूरी चिकित्सा शिक्षा ध्वस्त हो गई है। दरअसल 2020 से 2022 के बीच विश्वास सारंग के मंत्री काल में प्रदेश में कोई 200 से ऊपर नर्सिंग कॉलेज खोले गए थे। इनकी शिकायतों के साथ कुछ लोग ग्वालियर हाईकोर्ट चले गए। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। चूंकि इस मामले में काफी पीआईएल दाखिल हुई इसलिए हाईकोर्ट प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में सुनवाई हुई। बस यहीं से नेता-हेल्थ अधिकारी-सीबीआई अधिकारी-कॉलेज प्रशासन-नर्सिंग एसोसिएशन-मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार रूपी गठजोड़ चालू हुआ। पहले तो अपात्र संस्थानों से 2-2.5 करोड़ रूपये लेकर कॉलेज खुलवाए गए उसके बाद उन्हीं कॉलेज की जांच पर 10-20 लाख प्रति कॉलेज और पैसे खाए गए। इसके बाद संस्थान को मान्य करने का खेल चला। चिकित्सा शिक्षा की कारस्तानी तो देखिए कि एक ही महीने में मान्यता, एनरोलमेंट और परिक्षा नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया। इसमें भोपाल स्थित वीवीएन मेमोरियल कॉलेज जिसका संबंध सारंग परिवार से भी शामिल है। 2018 के नर्सिंग नियमों को शिथिल करते हुए 2024 में नये नर्सिंग नियमों में संशोधन किया गया। ताकि जिनसे रिश्वत ली है उन कॉलेजों की मान्यता वापस बहाल की जा सके। फिलहाल अदालत ने इस पर भी रोक लगा दी है। यह पूरा खेल हाईकोर्ट के आंख में पट्टी बांधकर किया गया। जनवरी 2024 में सीबीआई ने अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल की जिसके बाद फरवरी 2024 में जबलपुर हाईकोर्ट का निर्णय आया जिसमें 66 कॉलेजों को अपात्र, 73 कॉलेजों को अमान्य और 169 कॉलेजों को पात्र के साथ कुछ खामियों के साथ पाया गया। असली खेल इसी में खेला गया। जब सीबीआई इंस्पेक्टर पैसे लेकर क्लीनचिट देने को लेकर गिरफ्तार किया गया तब पूरा खेल सामने आया। गौर करने वाली बात यह है कि इसी अधिकारी ने व्यापमं की जांच की मतलब जो नेताओं, अधिकारियों का भ्रष्टचार मॉडल है उसमें अब सीबीआई भी शामिल है। पर इन सबमें माननीय न्यायालय को अंधेरे रखकर पूरा खेल हुआ। अब देखना यह है कि मोदी 3.0 में इस मामले में अपने कद्दावर नेताओं पर कार्यवाही होगी या नरेंद्र मोदी सिर्फ भ्रष्टचार की बात करते रहेंगे और अपने दल के कुकृत्यों से प्रदेश का बुरा करवाते रहेंगे।

विजया पाठक

मध्यप्रदेश का नर्सिंग घोटाला 2020 से चालू हो गया था। तब प्रदेश में शिवराज सरकार थी और विभाग के मंत्री थे विश्वास सारंग। आज इनको ही कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। सरकार तक शिकायत पहुंची, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे रहे और घोटाला होता गया। मामला उजागर होने पर पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही इस घोटाले के तार मंत्री विश्वास सारंग से जुड़े नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह घोटाला इनके ही कार्यकाल में प्रारंभ हुआ है। कांग्रेस ने भी इनको ही कठघरे में खड़ा किया है। नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिए जाने के दौरान तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। सारंग अभी भी राज्य सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक सवाल उठाया है कि मंत्री को बर्खास्त कर जांच होना चाहिए। आखिर इन फर्जी कॉलेज को अनुमति कैसे मिल गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस घोटाले के विषय में अवगत कराया है शिवराज सिंह चौहान और विश्वास सारंग की इस घोटाले में संलिप्तता की जांच कराने की मांग की है। नर्सिंग घोटाला उजागर होने के साथ ही यह भी कहा जाने लगा है कि कैसे मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती आ रही है। वैसे ही प्रदेश में युवा बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं। उसके बाद उजागर होते घोटालों ने युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है। अभी व्यापमं के दाग पूरे तरह से धुले नहीं थे कि एक और घोटाले ने राज्य में शिक्षा को बदनाम कर दिया है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगाने वाले इस घोटाले में माफिया, नेताओं और अफसरों का गठजोड़ सामने आया है। अब देखना होगा कि प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव घोटाले के मास्टरमाईंड पर क्या कार्यवाही करते हैं?

मध्य प्रदेश में नर्सिंग के करीब एक लाख छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज घोटाला भी सरकार के लिए किरकिरी का विषय बन चुका है। नियम-कायदों को दरकिनार करते हुए नर्सिंग कॉलेज संचालित होते रहे। न तो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत महसूस

विश्वास सारंग

निशांत वरवड़े

मो. सुलेमान

मध्यप्रदेश में हुए नर्सिंग घोटालों के यही तीनों मास्टर माइंड है। इनकी ही सरपरस्ती में नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताओं का क्रम लगातार बढ़ता गया। जांच में स्पष्ट हो रहा है कि घोटाले में जो भी कमियां या खामियां पायी गई उनमें इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस घोटाले में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही लाखों बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में पहुंच गया है।

की गई और न ही पढ़ाने के लिए फैकल्टी की। कई कॉलेज तो बिना फैकल्टी के भी सर्टिफिकेट बांटते रहे। सीबीआई ने जांच की तो उसके अफसर भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए और अब उनकी ही जांच उनकी एजेंसी कर रही है। सीबीआई की नई टीम को जांच दी जा सकती है। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो सकती है। वह पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीबीआई के अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई की टीम दिल्ली में पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ

अभी ताजा नर्सिंग घोटाले में शामिल मंत्री एवं अधिकारियों को तुरंत जांच कर गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं एक बात सामने आई है, पैसे लेकर क्लीनचिट देने वाले सीबीआई अधिकारी ने ही व्यापमं घोटाले की जांच की। इसका मतलब व्यापमं घोटाले की जांच भी कोम्प्रोमाईसिंग थी। फिर से व्यापमं की जांच होनी चाहिए।

में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। प्रदेश सरकार नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी आयोग गठन करने पर काम कर रही है। साथ ही छात्रों के लिए राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधी शिकायत पर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। इसके बाद राज्य नर्सिंग काउंसिल ने डेढ़ दर्जन से ज्यादा कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को अक्टूबर 2022 में मामले की जांच सौंप दी। कॉलेजों की प्राथमिक जांच में अनियमितताएं सामने आई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 364 कॉलेजों की जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सात जांच दल बनाए। इनमें

क्या विश्वास सारंग की छत्रछाया में हुआ 500 करोड़ का फर्जी नर्सिंग घोटाला?

मार्च 2020 में प्रदेश भाजपा में सरकार बनते ही विश्वास सारंग को चिकित्सा शिक्षा मंत्री बनाया गया, उस समय अतिरिक्त प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के रूप में निशांत वरवड़े पदस्थ थे। 2020-21 कोरोना काल के दौरान ताबड़तोड़ 219 नये नर्सिंग कॉलेज खुले। जिनकी मान्यता मप्र नर्सिंग काउंसिल द्वारा दी गई। अधिकांशत: कॉलेज मापदंडों के विपरीत खोले गए। नर्सिंग कॉलेजों के लिए 100 बिस्तरों का अस्पताल होनाअनिवार्य है। साथ-साथ फेकल्टियों के मापदंड भी कसौटियों पर भी नहीं उतरते थे। अधिकांशत: कॉलेज सिर्फ कागजों पर खोले गए, ऐसी स्थिति में ग्वालियर हाईकोर्ट में दाखिल WP NO 4847 OF 2023 दिलीप कुमार शर्मा विरूद्ध द स्टेट आफ मध्यप्रदेश एंड अदर्स की सुनवाई में माननीय हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा देखते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की एवं दिनांक 28 अप्रैल 2023 को माननीय जज

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

W.P. Nos.1080/2022, 5841/2022, 16851/2022, 20438/2021, 22164/2023, 27046/2022, 8737/2022, 3165/2022, 28337/2021, 28338/2021 & 14935/2022

Dated : 22.02.2024

Shri Naman Nagrath – Senior Advocate with Shri Satish Kumar Dixit – Advocate and Shri Alok Vagrecha – Advocate, Shri Vasu Jain – Advocate for the respective petitioners.

Shri Prashant Singh – Advocate General and Shri Bharat Singh – Additional Advocate General and Shri Abhijeet Awasthi – Advocate for the respondents-State.

Shri Sudhir Kumar Sharma – Advocate for the Central Bureau of Investigation.

On getting a glimpse of earlier orders passed in these batch of petitions, it is gathered that the CBI was requested to provide a listicle chart depicting only the names of Nursing Colleges, which were found suitable, deficient and unsuitable by the CBI in its report dated 17.01.2024, so that those specific names could be disclosed in the order of this Court.

Pursuant to said direction, learned counsel for the CBI has produced a compliance report making appendage a comprehensive list, which is amalgam of three parts categorized to divulge the names of Nursing Colleges found suitable, deficient and unsuitable respectively by the CBI and for ready reference it is reproduced hereinbelow:-.

Also Heard on I.A.No.2139/2024, which is an application filed on behalf of respondent No.14 seeking leave of this Court for permitting to complete the affiliation process for the session 2021-22 and 2022-23.

Juxtaposing the relief claimed in this application with the order already passed by this Court on 13.02.2024 in W.P.No.22164/2023 permitting the Colleges which have been given clean-chit and found suitable by the CBI in its report, we allow this application and permit the respondent to complete the affiliation process for the session 2021-22 and 2022-23 in respect of the Colleges given clean-chit by the CBI.

I.A.No.2139/2024 is disposed of.

As regards I.A.No.2564/2024 filed by respondent No.3 seeking rectification of typographical error in the order dated 13.02.2024 passed in W.P.No.22164/2023 - counsel for the petitioner seeks time to file reply.

Let it be done before the next date of listing.

List these matters analogously on **26.02.2024**. To be taken up on Board at **2.15 p.m.**

(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE

(ACHAL KUMAR PALIWAL)
JUDGE

sudesh

SUDESH KUMAR SHUKLA
2024.02.23 14:59:39 +05'30'

हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा अमान्य किये गये नर्सिंग कॉलेजों पर दिनांक 22-02-2024 का आदेश।

सीबीआई अधिकारियों के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेजों के नामित अधिकारी और पटवारियों को भी रखा गया। सीबीआई ने 169 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट सौंपी। अधिकतर कॉलेजों को योग्यता सूची में शामिल किया। 73 कॉलेजों में कमियां और

रोहित आर्य एवं माननीय सतेन्द्र कुमार की बेंच ने जांच के आदेश दे दिए। जिसमें 364 कॉलेज को शामिल किया गया। इसके साथ ही म.प्र. मेडिकल साईंस विश्वविद्यालय एवं मप्र नर्सिंग काउंसिल को सीबीआई की जांच में हर संभव साधन उपलब्धता कराने का आदेश दिया। नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े पर कुल 12 पीआईएल दाखिल हो चुकी थी, इसकी आगे की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में हुई। दिनांक 22 फरवरी 2024 को सीबीआई जांच के आधार पर हाईकोर्ट जबलपुर के माननीय जज श्री संजय द्विवेदी एवं माननीय जज अचल कुमार पालीवाल ने आदेश दिया जिसमें प्रदेश के 64 कॉलेजों को अनुपयुक्त पाया गया। इसके साथ 73 कॉलेज मापदंडों के अनुसार नहीं मिले। एवं 169 कॉलेज खामियों के साथ उपयुक्त पाये गए। खास बात हैं उपयुक्त पाये गये कॉलेज में VVM COLLEGE OF NURSING का ताल्लुक विश्वास सारंग के परिवार से भी है जिनके मंत्री कार्यकाल में ही यह पूरी जांच हुई एवं इस कॉलेज को सीबीआई द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है। जबकि यह कॉलेज मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है। चूंकि इस मामले में भाजपा के नेता और अभी मंत्री विश्वास सारंग का नाम आया है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी जीरो टालरेंस नीति के मद्देनजर जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। VVM COLLEGE की खासतौर पर शुरूआत से अभी तक की सभी फैकल्टियों की वेतन की जांच बैंक डिटेल्स के माध्यम से की जायें साथ में पीएफ स्टेटमेंट की जांच भी कराना चाहिए जिससे पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।

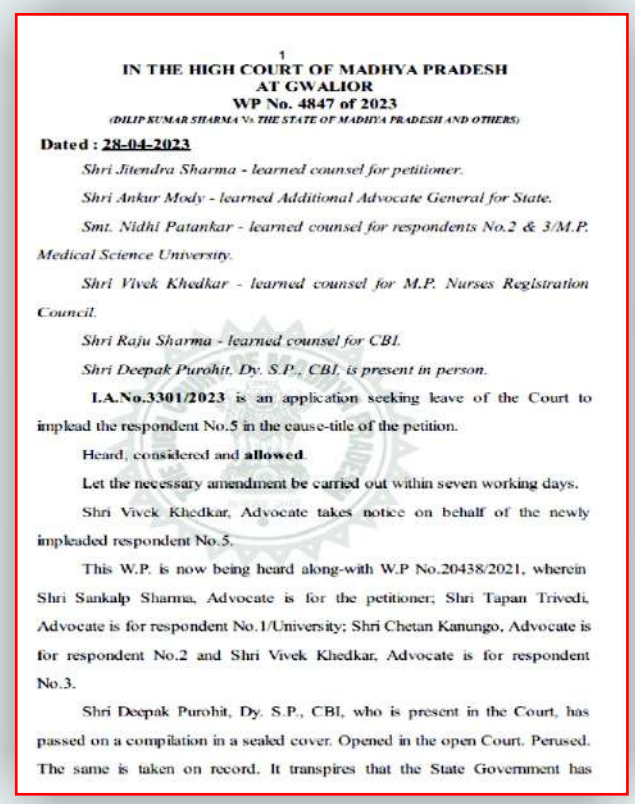

1

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT GWALIOR
WP No. 4847 of 2023
(DILIP KUMAR SHARMA Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS)

Dated : 28-04-2023

Shri Jitendra Sharma - learned counsel for petitioner.

Shri Ankur Mody - learned Additional Advocate General for State.

Smt. Nidhi Patankar - learned counsel for respondents No.2 & 3/M.P. Medical Science University.

Shri Vivek Khedkar - learned counsel for M.P. Nurses Registration Council.

Shri Raju Sharma - learned counsel for CBI.

Shri Deepak Purohit, Dy. S.P., CBI, is present in person.

I.A.No.3301/2023 is an application seeking leave of the Court to implead the respondent No.5 in the cause-title of the petition.

Heard, considered and **allowed**.

Let the necessary amendment be carried out within seven working days.

Shri Vivek Khedkar, Advocate takes notice on behalf of the newly impleaded respondent No.5.

This W.P. is now being heard along-with W.P No.20438/2021, wherein Shri Sankalp Sharma, Advocate is for the petitioner; Shri Tapan Trivedi, Advocate is for respondent No.1/University; Shri Chetan Kanungo, Advocate is for respondent No.2 and Shri Vivek Khedkar, Advocate is for respondent No.3.

Shri Deepak Purohit, Dy. S.P., CBI, who is present in the Court, has passed on a compilation in a sealed cover. Opened in the open Court. Perused. The same is taken on record. It transpires that the State Government has

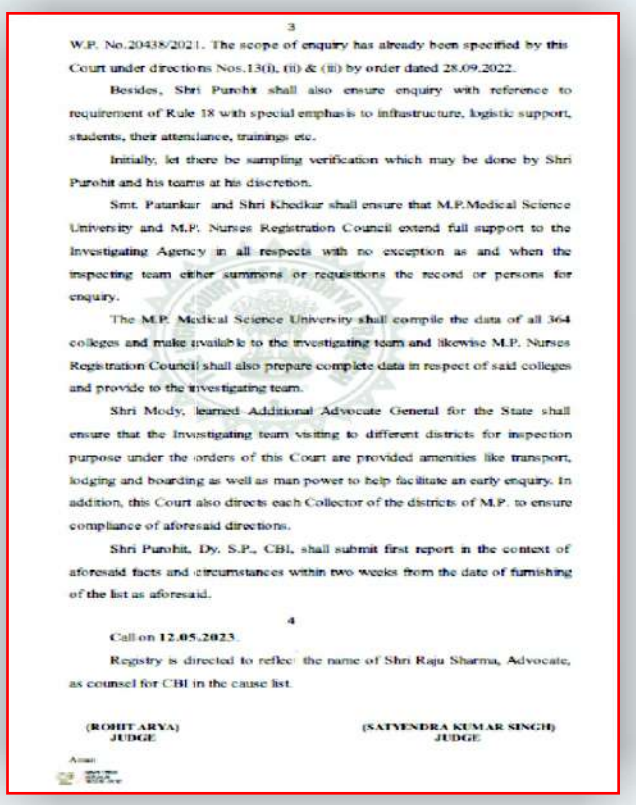

3

W.P. No.20438/2021. The scope of enquiry has already been specified by this Court under directions Nos.13(i), (ii) & (iii) by order dated 28.09.2022.

Besides, Shri Purohit shall also ensure enquiry with reference to requirement of Rule 18 with special emphasis to infrastructure, logistic support, students, their attendance, trainings etc.

Initially, let there be sampling verification which may be done by Shri Purohit and his teams at his discretion.

Smt. Patankar and Shri Khedkar shall ensure that M.P.Medical Science University and M.P. Nurses Registration Council extend full support to the Investigating Agency in all respects with no exception as and when the inspecting team either summons or requisitions the record or persons for enquiry.

The M.P. Medical Science University shall compile the data of all 364 colleges and make available to the investigating team and likewise M.P. Nurses Registration Council shall also prepare complete data in respect of said colleges and provide to the investigating team.

Shri Mody, learned Additional Advocate General for the State shall ensure that the Investigating team visiting to different districts for inspection purpose under the orders of this Court are provided amenities like transport, lodging and boarding as well as man power to help facilitate an early enquiry. In addition, this Court also directs each Collector of the districts of M.P. to ensure compliance of aforesaid directions.

Shri Purohit, Dy. S.P., CBI, shall submit first report in the context of aforesaid facts and circumstances within two weeks from the date of furnishing of the list as aforesaid.

4

Call on 12.05.2023.

Registry is directed to reflect the name of Shri Raju Sharma, Advocate, as counsel for CBI in the cause list.

(ROHIT ARYA)
JUDGE

(SATYENDRA KUMAR SINGH)
JUDGE

हाईकोर्ट बैंच ग्वालियर द्वारा नर्सिंग घोटालें में सीबीआई जांच की अनुसंशा।

66 को अयोग्य बताया गया। लिस्ट के सामने आने के बाद उन कॉलेजों को उपयुक्त लिस्ट में शामिल कर लिया, जिनमें कमियां बताई गई थी। उपयुक्त लिस्ट में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर व फैकल्टी वाले कॉलेजों के नाम जब शामिल हो गए तब अधिकारियों

विश्वास सारंग के दबाव में आयुर्विज्ञान विवि ने दी फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता?

कागजों पर बिना नियमों के पालन किये बिना इतने बड़े स्तर के घोटाले बिना मंत्री और मंत्रालय की सहमति के संभव ही नहीं है। इस बात पर मुहर तब और लग गई जब प्रदेश के अग्रणी अखबार ने जब मप्र मेडिकल साईंस विश्वविद्यालय के

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

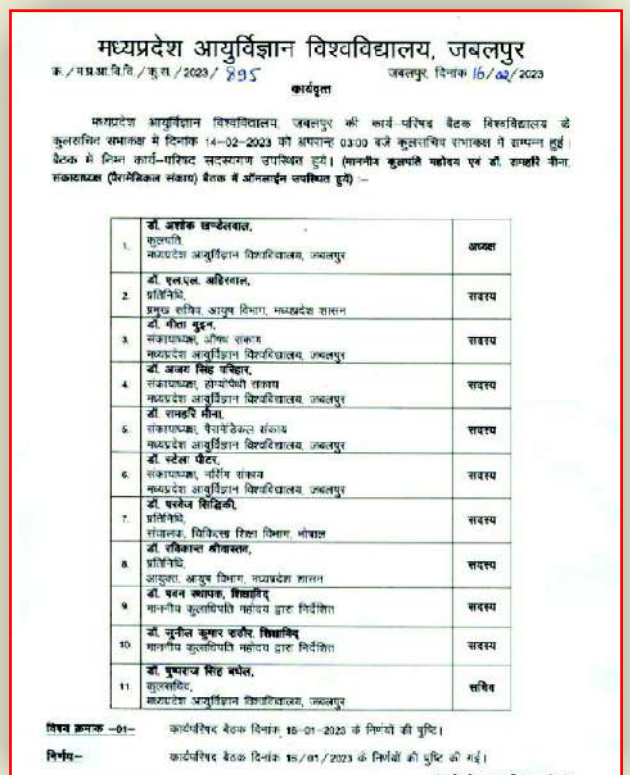

क./म.प्र.आ.वि.वि./कु.स./2023/ 895 जबलपुर, दिनांक 16/02/2023

कार्यवृत्त

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की कार्य-परिषद बैठक विश्वविद्यालय के कुलसचिव सभाकक्ष में दिनांक 14-02-2023 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलसचिव सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न कार्य-परिषद सदस्यगण उपस्थित हुये। **(माननीय कुलपति महोदय एवं डॉ. रामहरि मीना, संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल संकाय) बैठक में ऑनलाईन उपस्थित हुये)** :-

1.	**डॉ. अशोक खण्डेलवाल,** कुलपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	अध्यक्ष
2.	**डॉ. एल.एल. अहिरवाल,** प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
3.	**डॉ. गीता गुइन,** संकायाध्यक्ष, औषध संकाय, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
4.	**डॉ. अजय सिंह परिहार,** संकायाध्यक्ष, होम्योपैथी संकाय, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
5.	**डॉ. रामहरि मीना,** संकायाध्यक्ष, पैरामेडिकल संकाय, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
6.	**डॉ. स्टेला पीटर,** संकायाध्यक्ष, नर्सिंग संकाय, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सदस्य
7.	**डॉ. परवेज सिद्दिकी,** प्रतिनिधि, संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल	सदस्य
8.	**डॉ. रविकान्त श्रीवास्तव,** प्रतिनिधि, आयुक्त, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
9.	**डॉ. पवन स्थापक, शिक्षाविद्** माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित	सदस्य
10.	**डॉ. सुनील कुमार राठौर, शिक्षाविद्** माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित	सदस्य
11.	**डॉ. पुष्पराज सिंह बघेल,** कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	सचिव

विषय क्रमांक -01- कार्यपरिषद बैठक दिनांक 18-01-2023 के निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय- कार्यपरिषद बैठक दिनांक 18/01/2023 के निर्णयों की पुष्टि की गई।

(कार्यवाही- कुलसचिव कार्यालय)

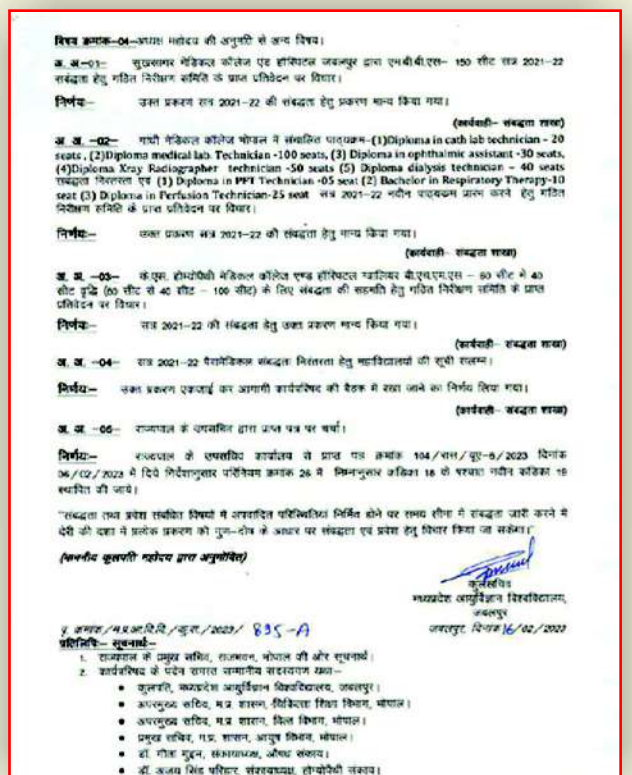

विषय क्रमांक-04-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

अ. क्र.-01- सुखसागर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जबलपुर द्वारा एमबीबीएस- 150 सीट सत्र 2021-22 संबद्धता हेतु गठित निरीक्षण समिति के प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय- उक्त प्रकरण सत्र 2021-22 की संबद्धता हेतु प्रकरण मान्य किया गया।

(कार्यवाही- संबद्धता शाखा)

अ. क्र. -02- गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में संचालित पाठ्यक्रम-(1)Diploma in cath lab technician - 20 seats, (2)Diploma medical lab Technician -100 seats, (3) Diploma in ophthalmic assistant -30 seats, (4)Diploma Xray Radiographer technician -50 seats (5) Diploma dialysis technician - 40 seats संबद्धता निरंतरता एवं (1) Diploma in PFT Technician -05 seat (2) Bachelor in Respiratory Therapy-10 seat (3) Diploma in Perfusion Technician-25 seat सत्र 2021-22 नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु गठित निरीक्षण समिति के प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय- उक्त प्रकरण सत्र 2021-22 की संबद्धता हेतु मान्य किया गया।

(कार्यवाही- संबद्धता शाखा)

अ. क्र. -03- के.एम. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ग्वालियर बी.एच.एम.एस - 60 सीट में 40 सीट वृद्धि (60 सीट से 40 सीट - 100 सीट) के लिए संबद्धता की सहमति हेतु गठित निरीक्षण समिति के प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय- सत्र 2021-22 की संबद्धता हेतु उक्त प्रकरण मान्य किया गया।

(कार्यवाही- संबद्धता शाखा)

अ. क्र. -04- सत्र 2021-22 पैरामेडिकल संबद्धता निरंतरता हेतु महाविद्यालयों की सूची संलग्न।

निर्णय- उक्त प्रकरण एकजाई कर आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखा जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही- संबद्धता शाखा)

अ. क्र. -06- राज्यपाल के उपसचिव द्वारा प्राप्त पत्र पर चर्चा।

निर्णय- राज्यपाल के उपसचिव कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 104/रास/यू-6/2023 दिनांक 06/02/2023 में दिये निर्देशानुसार परिनियम क्रमांक 26 में निम्नानुसार कंडिका 18 के पश्चात नवीन कंडिका 19 स्थापित की जाये।

"संबद्धता तथा प्रवेश संबंधित विषयों में अप्रत्याशित परिस्थितियां निर्मित होने पर समय सीमा में संबद्धता जारी करने में देरी की दशा में प्रत्येक प्रकरण को गुण-दोष के आधार पर संबद्धता एवं प्रवेश हेतु विचार किया जा सकेगा।"

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 16/02/2023

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./कु.स./2023/ 895-A

प्रतिलिपि- सूचनार्थ-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपरिषद के पदेन समस्त सम्माननीय सदस्यगण यथा-
   - कुलपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
   - अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
   - अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
   - प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, भोपाल।
   - डॉ. गीता गुइन, संकायाध्यक्ष, औषध संकाय।
   - डॉ. अजय सिंह परिहार, संकायाध्यक्ष, होम्योपैथी संकाय।

7

की मिलीभगत की शिकायत सीबीआई को मिली। चार अधिकारियों समेत 23 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए। सीबीआई के दो इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश पुलिस के हैं। वहीं, सीबीआई के एक अधिकारी राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है। बाकी आरोपी पुलिस रिमांड पर है। सीबीआई के अधिकारियों को पकड़ने के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। सीबीआई

रजिस्ट्रार डॉ. पुष्पराज बघेल से बात की तो उन्होंने कहा कार्य परिषद की बैठक में संबद्धता से मना कर दिया था, फिर तत्कालीन मंत्री (विश्वास सारंग) की अध्यक्षता में बैठक हुई इसमें निर्णय लिया गया कि जिन संस्थानों ने समय पर फीस

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा • जांच की आंच मेडिकल यूनिवर्सिटी तक पहुंची

फर्जीवाड़ा कैसे पकड़ते? जो मान्यता-संबद्धता देने में शामिल, सीबीआई टीम के साथ वही थे

दीपक विश्वकर्मा | भोपाल

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई की जांच अब मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के अफसरों तक पहुंच गई है। दरअसल, जो लोग नर्सिंग मेडिकल कॉलेजों को मान्यता और संबद्धता देने वाली निरीक्षण टीम में शामिल थे, उनमें से कई नाम ऐसे हैं, जो फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीबीआई टीम के साथ भी थे। इनमें मेडिकल कॉलेज जबलपुर के डॉ. एनएल अग्रवाल, डॉ. राजेंद्र कुशवाहा, डॉ. मनीष नागेंद्र, नर्सिंग ट्यूटर मंजू कैल्विन, स्टेला पीटर, प्रतिभा सिंह, मालती लोधी आदि नाम हैं, जो तीनों कमेटियों में थे।

. इस तरह कुछ विशेष लोगों को सीबीआई जांच में शामिल करने के कारण ही लेन-देन का खेल शुरू हुआ। लंबे समय से कुछ लोगों का रैकेट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता, संबद्धता दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूलने का खेल, खेल रहा था। इसकी शिकायत एनएसयूआई विंग के रवि परमार ने मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को भी की है।

यही नहीं, जिन कॉलेजों पर रिश्वत देने का आरोप लगा, उन्हें नर्सिंग काउंसिल से मान्यता मिलने के बाद पूर्व के कुलपति और रजिस्ट्रार ने 4 बार संबद्धता अमान्य की, लेकिन मार्च 2022 में विवि में आए वर्तमान कुलपति और रजिस्ट्रार ने सभी का ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर संबद्धता दे दी। इसमें मलय नर्सिंग कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग और आरडी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों के भी नाम शामिल हैं। इनकी संबद्धता 4 बार अमान्य की गई। मलय कॉलेज के संचालकों को घूसकांड में गिरफ्तार किया गया था। बगैर निरीक्षण के 144 नर्सिंग कॉलेजों को सत्र 2021-22 और 2022-23 की सशर्त संबद्धता दी गई थी। शेष | पेज 12 पर

मेडिकल लीव पर थे कुलपति, बैठक में ऑनलाइन शामिल होकर दी मंजूरी

दैनिक भास्कर को मिले एक पत्र में उल्लेख है कि 24 जनवरी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति डॉ. अशोक खंडेलवाल आकस्मिक अवकाश पर रहे, फिर 29 जनवरी से 15 फरवरी के बीच मेडिकल अवकाश पर थे। कार्यपरिषद की बैठक 14 फरवरी को थी। इसमें कुलपति ऑनलाइन शामिल हुए और इसी में अमान्य कॉलेजों को संबद्धता दी गई।

• कुलपति बोले- कार्यपरिषद बैठक में जो भी निर्णय हुए, वह सदस्यों की सहमति से हुए।

• यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. पुष्पराज बघेल के अनुसार, कार्यपरिषद की बैठक में संबद्धता से मना कर दिया था, फिर तत्कालीन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जिन्होंने समय पर फीस भर दी है, उनकी संबद्धता नहीं रोकनी है।

भर दी है उनकी संबद्धता नहीं रोकी जानी चाहिए। प्रदेश में जो 219 नये नर्सिंग कॉलेज मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल में खुले। फैकल्टी डुप्लीकेशन के साथ-साथ 100 बेड अस्पताल एवं 2018 के नियमों का पालन नहीं किया गया। उल्लेखनीय बात ये है कि 2020-21 के कॉलेजों का मापदंड में खरा नहीं उतरने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा इनकी संबद्धता खत्म कर दी गई पर जैसा कि बताया गया कि विश्वास सारंग के कहने के कारण सभी अपात्र कॉलेजों की संबद्धता को बहाल रखा गया। बड़ी बात ये है कि प्रदेश के एक लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित करने वाले मंत्री विश्वास सारंग के साथ-साथ मोहम्मद सुलेमान और निशांत वरवड़े और उनके ओएसडी महेन्द्र गुप्ता पर कब कार्यवाही करेगी। बड़ी बात ये है कि उत्तरप्रदेश, राजस्थान में भाजपा को युवाओं के गुस्से के कारण ही मात खानी पड़ी तो क्या देश की मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ उन्हीं के मंत्री और नेता के कारण एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। व्यापमं में जितनी फजीहत भाजपा की हुई क्या नर्सिंग घोटाले में होगा।

के अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर पैसों के बदले कॉलेजों को सूटेबल रिपोर्ट दी। सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज, सुशील कुमार मोजोका और ऋषिकांत असाठे को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। डिप्टी एसपी आशीष प्रसाद को आरोपी बनाया है। सीबीआई के अधिकारियों के लिए दलाल कॉलेज संचालकों से संपर्क करते थे। फिर उन्हें उपयुक्त लिस्ट में शामिल

किसके इशारों पर मिली अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता

विश्व में पहली बार एक ही महीने के अंदर मान्यता, पंजीयन और परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करके मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने रचा महा-फर्जीवाड़ा

विश्व में पहली बार ऐसा कृत्य हुआ होगा जब किसी कॉलेज को मान्यता के साथ उनके छात्रों का पंजीयन और परीक्षा की अधिसूचना एक महीने के अंदर ही कर दी गई। यह काम आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने किया। इससे बड़ा सवाल यह है कि यह किसके ईशारे पर किया गया। आखिर विश्वविद्यालय ने किसके दबाव में ऐसा फर्जी काम किया, यह एक जांच का विषय है। दरअसल विश्वविद्यालय के कार्यवृत संख्या म.प्र.आ.विवि/कु.स/2023/895 जबलपुर दिनांक 16.01.2023 कार्य परिषद की बैठक में नर्सिंग समूह डी एवं समूह सी के जिन महाविद्यालयों ने द्वारा सत्र 2020-21 की संबद्धता हेतु निर्धारित संबद्धता शुल्क (विलंब शुल्क) सहित जमा किये गये उक्त महाविद्यालयों के निरीक्षण उपरांत प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार किया गया। जिसमें ज्यादातर कॉलेजों को नियम विरूद्ध संबद्धता दी गई। इससे एक और कदम आगे जाते हुए इन कॉलेजों के लिए संख्या म.प्र.आ.विवि/कुल/2023/903 जबलपुर दिनांक 17.01.2023 को रिवाईज नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसमें जिन महाविद्यालयों को संबद्धता निरंतरता प्रदान की गई

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur (M.P.)
क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./कुल./2023/903 जबलपुर दिनांक 17/02/2023

Revised Notification

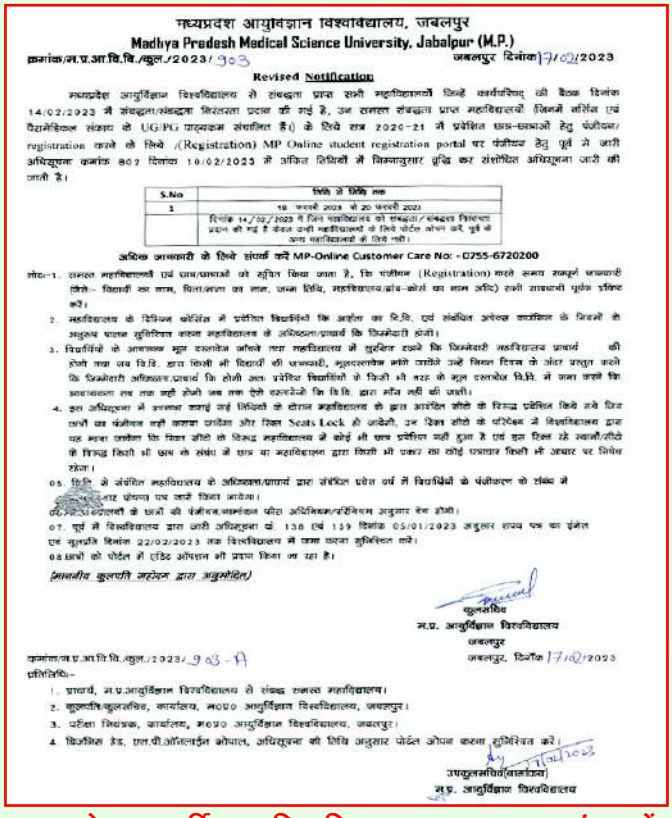

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालयों जिन्हें कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14/02/2023 में संबद्धता/संबद्धता निरंतरता प्रदान की गई है, उन समस्त संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों (जिनमें नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय के UG/PG पाठ्यक्रम संचालित हैं) के लिये सत्र 2020-21 में प्रवेशित छात्र-छात्राओं हेतु पंजीयन/registration करने के लिये /(Registration) MP Online student registration portal पर पंजीयन हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 802 दिनांक 10/02/2023 में अंकित तिथियों में निम्नानुसार वृद्धि कर संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है।

S.No	तिथि से तिथि तक
1	18 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023
	दिनांक 14/02/2023 में जिन महाविद्यालय को संबद्धता/संबद्धता निरंतरता प्रदान की गई है केवल उन्हीं महाविद्यालयों के लिये पोर्टल ओपन करें, पूर्व के अन्य महाविद्यालयों के लिये नहीं।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें MP-Online Customer Care No: -0755-6720200

नोट-1. समस्त महाविद्यालयों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि पंजीयन (Registration) करते समय सम्पूर्ण जानकारी (जैसे- विद्यार्थी का नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, महाविद्यालय/ब्रांच-कोर्स का नाम आदि) सभी सावधानी पूर्वक प्रविष्ट करें।

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible] Seats Lock [illegible]

05. [illegible]

06. [illegible]

07. पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रं. 138 एवं 139 दिनांक 05/01/2023 अनुसार शपथ पत्र का [illegible] एवं मूलप्रति दिनांक 22/02/2023 तक विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

08. छात्रों को पोर्टल में एडिट ऑपशन भी प्रदान किया जा रहा है।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./कुल./2023/903-A जबलपुर, दिनांक 17/02/2023

प्रतिलिपि:-
1. प्राचार्य, म.प्र.आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. कुलपति/कुलसचिव, कार्यालय, म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, कार्यालय, म०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. बिजनिस हेड, एम.पी.ऑनलाईन भोपाल, अधिसूचना की तिथि अनुसार पोर्टल ओपन करना सुनिश्चित करें।

उपकुलसचिव(वाणिज्य)
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अपात्र संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए लिए पंजीयन खोला गया

कराने के लिए पैसा तय होता था। सीबीआई की एफआईआर में कई दलालों के नाम लिखे हैं। सीबीआई अधिकारी को रिश्वत के रूप में दो से 10 लाख रुपये देना तय किया था। नर्सिंग स्टाफ को 25 से 50 हजार रूपये और पटवारी को 05 से 20 हजार रूपये मिलते थे। सीबीआई का एक अधिकारी रिश्वत की राशि जयपुर में अपने दोस्त को भिजवाता था। रिश्वत की राशि लेने से अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग लोग शामिल थे। इसके बाद नर्सिंग कॉलेज के नियमों में फेरबदल किए गए। क्षेत्रफल 23 हजार वर्ग फुट का होना चाहिए था, लेकिन नए नियमों में इसे घटाकर 08 हजार वर्ग फुट कर दिया।

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

M.P. Medical Sciences University, Jabalpur

Address: Near Medical College Bhedaghat Road, NH-12 Jabalpur (MP) 482003
Contact : 0761-2670332, 2670334, 2670338, 2670340
E-mail:- ecmpmsu@mp.gov.in

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./परीक्षा/2023/1653 — जबलपुर, दिनॉक 16/02/2023

अधिसूचना

म0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक 940 दिनांक 28/01/2023 में जारी समय सारणी **P.B.B.Sc Nursing 1st Year Examination March-2023** एवं **M.Sc Nursing 1st Year Examination March-2023** तथा अधिसूचना क्रमांक 941 दिनांक 28/01/2023 में जारी समय सारणी **B.Sc (Nursing) 1st Year Examination March-2023** के ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरने कि अंतिम तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए **23-02-2023** निर्धारित की जाती है।

परीक्षा नियंत्रक
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर

पृ.क्रमांक/परीक्षा/2023/1653-A — जबलपुर, दिनॉक 16/02/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ हेतु प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति/कुलसचिव कार्यालय, म0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. समस्त अधिष्ठाता/प्राधानाचार्य संबद्ध संबंधित महाविद्यालय।

उप कुलसचिव
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर

परीक्षा की अधिसूचना जारी करते मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

उनके पंजीयन के लिए पोर्टल खोला गया। इसके बाद छात्रों के म.प्र.आ.विवि/परीक्षा/2023/1653 जबलपुर दिनांक 16.2.2023 परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 23.2.2023 निर्धारित की गई। इससे साफ होता है कि इन कॉलेजों से मोटा पैसा मंत्री,अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग एसोसिएशन-आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को गया, जिसके बाद उन कॉलेजों ने छात्रों का एडमिशन ले लिया। अब चूंकि रिश्वत दी जा चुकी थी तो किसी भी स्थिति में इन कॉलेजों की मान्यता आनन-फानन में बहाल करते हुए छात्रों को परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दे दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने पूरा फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग के ऊपर लगा दिये कि कार्य परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता से मना कर दिया था, फिर तत्कालीन मंत्री (विश्वास सारंग) की अध्यक्षता में बैठक हुई इसमें निर्णय लिया गया कि जिन्होंने समय पर फीस भर दी है उनकी संबद्धता नहीं रोकी जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि विश्वास सारंग के दवाव में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दी गई। ऐसे में अभी तक तत्कालीन मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कमिश्नर पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई।

फेकल्टी में 10 छात्रों पर एक शिक्षक के अनुपात को बदलकर 20 पर एक कर दिया गया। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों को भी पात्र लिस्ट में डाल दिया गया। कई जगह कॉलेज में शिक्षक नहीं होने के बावजूद सर्टिफिकेट बांटे जाते रहे। प्रदेश में अभी 2020-21 सत्र के नर्सिंग की छात्रों की परीक्षा चल रही है। 2021-22, 2022-23 की परीक्षा का समय अभी निर्धारित ही नहीं है। 2023-24 के लिए कॉलेजों की मान्यता नहीं हुई है। नर्सिंग घोटाले की वजह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन छात्र-छात्राओं की अभी परीक्षा रूकी हुई। उस पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। इससे एक लाख से ज्यादा

जानिए नर्सिंग घोटाला में सीबीआई जांच में पैसे लेकर हाईकोर्ट को भ्रमजाल में डाला गया

- 15 अप्रैल को मामले की शिकायत की गई।
- 18 मई को दिल्ली सीबीआई ने 23 आरोपियों पर एफआईआर की जिसमें सीबीआई डीएसपी आशीष प्रसाद इंस्पेक्टर राहुल राज, सुशील मजोकर, ऋषिकांत असाते और नर्सिंग कालेजों के संचालको, प्रिंसिपल शामिल थे।
- 19 मई को दिल्ली सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीबीआई के इंस्पेक्टरों और कॉलेज संचालकों सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
- 20 मई को दिल्ली सीबीआई ने घूंस लेते पकड़े गए सीबीआइ के इंस्पेटरों को खिलाफ जांच शुरूकर दी।
- 23 मई को सीबीआई के डीएसपी का तबादला कर राहुल राज को निलंबित किया। अटैच मप्र पुलिस के इंस्पेक्टर सुशील कुमार माजोका को निलंबित किया गया। सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निरीक्षक ऋषिकांत असाटी की सेवाएं भी सीबीआई ने राज्य सरकार को वापस कर दी हैं।
- 28 मई को मोहन सरकार ने अनुपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों पर शिकंजा कसते हुए 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए।
- 28 मई को नर्सिंग घोटाले में शामिल इंस्पेक्टर सुशील माजोका को बर्खास्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में फिट मिले 169 नर्सिंग कॉलेजों की फिर से जांच के आदेश दिए।

Details of the arrested accused in case no RC

Sl No.	Name of the arrestee	Date & Place of the arrest
1.	Shri Rahul Raj, Inspector, CBI, ACB, Bhopal, r/o F -1, Anchal Aptt., Professor Colony, Bhopal Madhya Pradesh.	19.05.2024 Bhopal
2.	Shri Anil Bhaskaran, Chairman, Malay College of Nursing, Bhopal, r/o HIG 540, Ayodhya Nagar, Sector-G, Tehsil Huzur, Bhopal, MP.	19.05.2024 Bhopal
3.	Smt. Sumo Anil Bhaskar W/o Shri Anil Bhaskaran,	19.05.2024 Bhopal
4.	Shri Sachin Jain R/o D/9, Nikhil Bungalow, Near Ashima Mall, Bhopal, MP.	19.05.2024 Bhopal
5.	Shri Radha Raman Sharma R/o Gwalior, Madhya Pradesh	19.05.2024 Jaipur
6.	Shri Sushil Kumar Majoka, Inspector, CBI, ACB, Bhopal, r/o 209, Bijli Colony, Anand Nagar, BHEL, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh.	19.05.2024 Ratlam
7.	Shri Jugal Kishor Sharma, Director Bhaskar College of Nursing, r/o Flat No. 302, Kaveri Enclave, Near Aadarsh Stationary, Gwalior.	19.05.2024 Ratlam
8.	Ms. Jalpana Adhikari, Principal Bhabha University, Bhopal	19.05.2024 Ratlam
9.	Shri Ravi Bhadoria, Chairman of R D Memorial College of Nursing and Pharmacy, Indore, r/o i505, Sector-A, Mahalakshmi Vijay Nagar, Indore, MP	19.05.2024 Indore
10.	Mohd. Tanveer Khan, The then CEO, Patel Motors, Indore r/o H.No. 5/A, Eliyas Colony, Khajrana, Kanadia, Indore, MP	19.05.2024 Indore
11.	Smt. Preeti Tilakwar @ Jyoti W/o Shri Chandresh Kamatkar, r/o D-3, Geetanjali Complex, Near Hajela, Hospital, South T T Nagar, Huzur, Bhopal, MP	19.05.2024 Indore
12.	Shri Ved Sharma, R/o Indore, Madhya Pradesh.	19.05.2024 Indore
13.	Shri Om Goswami, Pratyansh College of Nursing and Paramedical, Indore, r/o Sampat Farm, 28 B, Pushpa, Villa, 4th Cross Lane, Indore, MP	19.05.2024 Indore

पैसे लेकर अपात्र कॉलेजों को मान्य करने के खेल के बाद हुई गिरफ्तारी

- 28 मई को नर्सिंग घोटाले में शामिल इंस्पेक्टर सुशील माजोका को बर्खास्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में फिट मिले 169 नर्सिंग कॉलेजों की फिर से जांच के आदेश दिए।
- 29 मई को 10 दिनों की रिमांड खत्म होने पर 09 आरोपियों को जेल भेजा और चार की रिमांड एक जून तक बढ़ाई गई।
- 30 मई को फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट बनाने वाले 14 राजस्व अधिकारियों को विभाग ने थमाया नोटिस।
- 01 जून को नर्सिंग घोटाले में लिप्त सीबीआई के इस्पेंक्टर राहुल राज सहित चारों आरोपियों को जेल भेजा वहीं चार आरोपियों द्वारा जमानत याचिका लगाई गई थी उसको भी न्यायालय ने खारिज कर दिया।

बच्चे प्रभावित हैं।

अब मध्य प्रदेश के चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच अब सीबीआई के हाथों में आ गई है। सीबीआई ने भोपाल में नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों और फैकल्टीज को बुलाकर उनका वेरिफिकेशन

नर्सिंग कॉलेज संचालकों द्वारा लैब में किराए पर लाया जाता है सामान

- रवि परमार, व्हिसलब्लोअर

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग महाघोटाले में एक के बाद एक नई परतें खुल रही हैं। घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता उजागर होने के बाद अब दिल्ली सीबीआई इस केस की बारीकी से निगरानी कर रही है। इसी बीच घोटाले के व्हिसलब्लोअर रवि परमार ने सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा है और कुछ बिंदुओं पर जांच के दौरान विशेष ध्यान देने की गुजारिश की है। सीबीआई के डायरेक्टर को संबोधित पत्र में व्हिसलब्लोअर परमार ने लिखा है कि फर्जी नर्सिंग कालेज संचालकों द्वारा एक ही बिल्डिंग में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, डीएड-बीएड और अन्य कोर्स भी संचालित किए जाते हैं। निरीक्षण के दौरान इसकी पुष्टि करना अति आवश्यक है। परमार ने पत्र में आगे लिखा है कि फर्जी नर्सिंग कालेज संचालकों द्वारा सीबीआई जांच के बाद व जांच के दौरान प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने अपनी कॉलेज की बिल्डिंग बदल ली लेकिन जिस बिल्डिंग में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 की मान्यता दी, उसकी जांच भी करना अति आवश्यक हैं। क्योंकि फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालकों ने किराये के भवनों में कॉलेजों की मान्यता लेकर छात्र छात्राओं से करोड़ों रुपए की राशि फीस के रूप में वसूली है। उन्होंने कहा कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालकों द्वारा फैकल्टी को सिर्फ निरीक्षण के दौरान दिखाने के लिए ही रखा जाता है। नर्सिंग कालेजों की फैकल्टी का सैलरी स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेजों की पुष्टि बारीकी से करने की आवश्यकता है। साथ ही फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालकों द्वारा भ्रमित करने के लिए छात्रावास और अस्पताल को कुछ समय के लिए ही किराए पर अनुबंधित किया जाता है, जिसकी पुष्टि करना भी आवश्यक है। परमार ने यह भी कहा कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालकों द्वारा लैब में किराए पर समाना लाया जाता है। कॉलेजों के लैब में जो भी समान हैं उनके बिल की जांच भी करना आवश्यक है। साथ ही फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की जांच टीम में नर्सिंग के सबसे ज्यादा अनुभवी नर्सिंग स्टॉफ और जो किसी भी तरह की गड़बड़ी में संलिप्त ना हो उसको भी शामिल किया जाए। नर्सिंग कॉलेजों के प्राचार्य/डीन और अन्य किसी की अनुशंसा पर रखे गए लोगों को जांच कमेटी से तत्काल हटाकर सीनियर और अनुभवी नर्सिंग अधिकारियों शामिल कराया जाए।

प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जब इस मामले में तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग का बंगला घेरा गया तो इस मामले के व्हिसलब्लोअर रवि परमार को हथकड़ियों से जकड़कर ले जाया गया।

शुरू कर दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। घोटाले के सामने आने के बाद राज्य के 375 कॉलेजों में एनरोल 1.25 लाख से अधिक नर्सिंग स्टूडेंट्स पिछले तीन साल से अपनी परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं। यहां तक कि

क्या अवैध नर्सिंग कॉलेजों की मदद के लिए किया गया था मप्र नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम में बदलाव

नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए सरकार द्वारा 2018 में नर्सिंग नियम लाये गये। इन नियमों को 2024 में शिथिल करते हुए 21 फरवरी 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मप्र नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2024 के नाम से नये नियम लाये गये। दरअसल नर्सिंग कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए पुराने नियमों में व्यापक बदलाव किये गये। इसमें आधारभूत संरचनायें, फैकल्टियों की संख्या, प्रयोगशालाएं, लेक्चर हॉल आदि में बदलाव किये गये हैं। जबकि नर्सिंग कॉलेज के ये हैं पुराने नियम और नए नियम में काफी बदलाव है:-

- लेक्चर हॉल- 30 छात्रों के लिए 600 वर्गफीट। कुल कॉलेज 23,000 वर्गफीट से ज्यादा में संचालित होना चाहिए।
- नर्सिंग फाउंडेशन प्रयोगशाला के लिए 1500 वर्गमीटर। वहीं मिडवाईफ एंड चाइल्ड हेल्थ 100 वर्गफीट और न्यूट्रिशन 100 वर्गफीट अलग से होना चाहिए।
- असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षक प्रति 10 छात्र पर एक।
- मल्टीपरपज हॉल 3000 वर्ग मीटर (किराये पर भी ले सकते थे)
- बायो के अलावा मैथ्स, आर्ट्स और कॉमर्स से 12वीं पास करने वाले छात्र भी ANM नर्सिंग और GNM नर्सिंग का डिप्लोमा कर सकते थे।

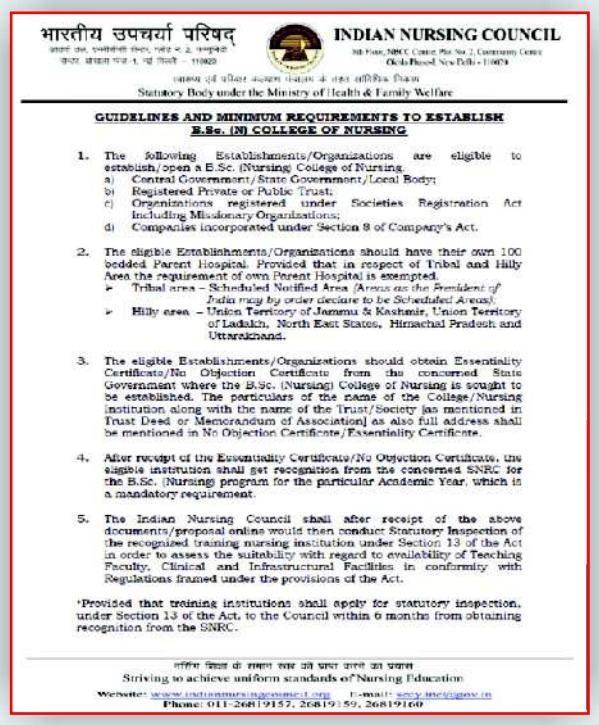

भारतीय उपचर्या परिषद्
INDIAN NURSING COUNCIL
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

GUIDELINES AND MINIMUM REQUIREMENTS TO ESTABLISH B.Sc. (N) COLLEGE OF NURSING

1. The following Establishments/Organizations are eligible to establish/open a B.Sc. (Nursing) College of Nursing.
   a) Central Government/State Government/Local Body;
   b) Registered Private or Public Trust;
   c) Organizations registered under Societies Registration Act including Missionary Organizations;
   d) Companies incorporated under Section 8 of Company's Act.
2. The eligible Establishments/Organizations should have their own 100 bedded Parent Hospital. Provided that in respect of Tribal and Hilly Area the requirement of own Parent Hospital is exempted.
   - Tribal area – Scheduled Notified Area (*Areas as the President of India may by order declare to be Scheduled Areas*).
   - Hilly area – Union Territory of Jammu & Kashmir, Union Territory of Ladakh, North East States, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
3. The eligible Establishments/Organizations should obtain Essentiality Certificate/No Objection Certificate from the concerned State Government where the B.Sc. (Nursing) College of Nursing is sought to be established. The particulars of the name of the College/Nursing institution along with the name of the Trust/Society (as mentioned in Trust Deed or Memorandum of Association) as also full address shall be mentioned in No Objection Certificate/Essentiality Certificate.
4. After receipt of the Essentiality Certificate/No Objection Certificate, the eligible institution shall get recognition from the concerned SNRC for the B.Sc. (Nursing) program for the particular Academic Year, which is a mandatory requirement.
5. The Indian Nursing Council shall after receipt of the above documents/proposal online would then conduct Statutory Inspection of the recognized training nursing institution under Section 13 of the Act in order to assess the suitability with regard to availability of Teaching Faculty, Clinical and Infrastructural Facilities in conformity with Regulations framed under the provisions of the Act.

*Provided that training institutions shall apply for statutory inspection, under Section 13 of the Act, to the Council within 6 months from obtaining recognition from the SNRC.

Striving to achieve uniform standards of Nursing Education
Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-26819157, 26819159, 26819160

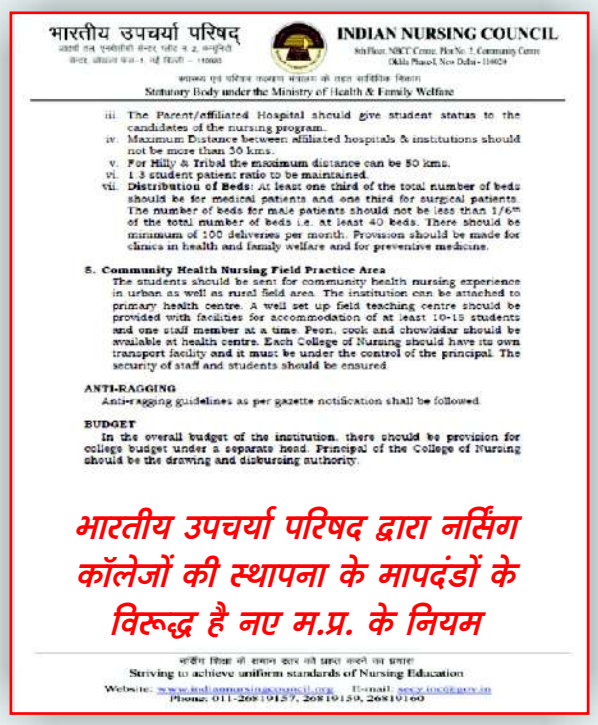

भारतीय उपचर्या परिषद्
INDIAN NURSING COUNCIL
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

iii. The Parent/affiliated Hospital should give student status to the candidates of the nursing program.
iv. Maximum Distance between affiliated hospitals & institutions should not be more than 50 kms.
v. For Hilly & Tribal the maximum distance can be 80 kms.
vi. 1:3 student patient ratio to be maintained.
vii. **Distribution of Beds:** At least one third of the total number of beds should be for medical patients and one third for surgical patients. The number of beds for male patients should not be less than 1/6th of the total number of beds i.e. at least 40 beds. There should be minimum of 100 deliveries per month. Provision should be made for clinics in health and family welfare and for preventive medicine.

5. Community Health Nursing Field Practice Area
The students should be sent for community health nursing experience in urban as well as rural field area. The institution can be attached to primary health centre. A well set up field teaching centre should be provided with facilities for accommodation of at least 10-15 students and one staff member at a time. Peon, cook and chowkidar should be available at health centre. Each College of Nursing should have its own transport facility and it must be under the control of the principal. The security of staff and students should be ensured.

ANTI-RAGGING
Anti-ragging guidelines as per gazette notification shall be followed.

BUDGET
In the overall budget of the institution, there should be provision for college budget under a separate head. Principal of the College of Nursing should be the drawing and disbursing authority.

Striving to achieve uniform standards of Nursing Education
Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-26819157, 26819159, 26819160

भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के मापदंडों के विरूद्ध है नए म.प्र. के नियम

2020-21 के सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की अभी तक फर्स्ट ईयर की परीक्षा भी नहीं हुई है।

नर्सिंग कॉलेज घोटाले को व्यापमं के बाद सीबीआई द्वारा जांचा जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। राज्य के

नियमों की सर्जरी के बाद 2024 में हुए यह बदलाव

- लेक्चर हॉल 60 छात्रों के लिए सिर्फ 900 वर्गफीट। कॉलेज अब 8000 वर्ग फीट में भी संचालित हो सकता है।
- नर्सिंग फाउंडेशन प्रयोगशाला के लिए सिर्फ 900 वर्ग मीटर (जिसमें मिडवाईफ एंड चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन भी सम्मिलित है)
- असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षक प्रति 20 छात्र पर एक।
- मल्टीपरपज हॉल- हटा दिया है।
- अब सिर्फ बायो से 12वीं पास करने वाले भी ANM नर्सिंग और GNM नर्सिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं।

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

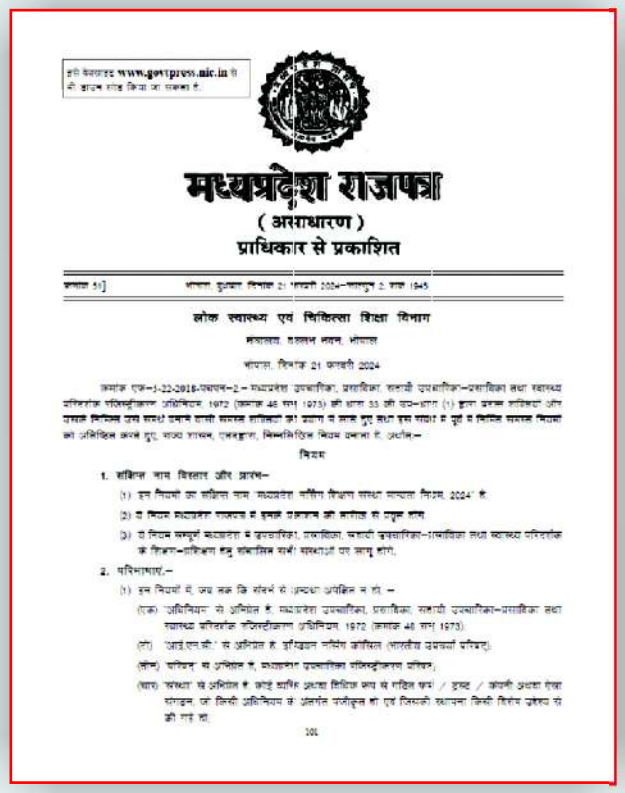

प्राधिकार से प्रकाशित

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2024

नियम

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2024" है.

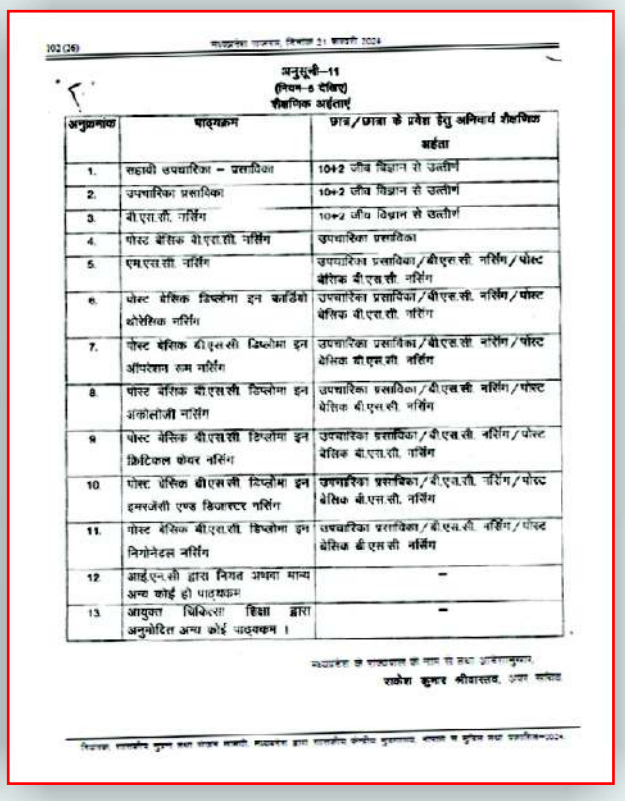

2. परिभाषाएं.–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो. –

(एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973).

(दो) "आई.एन.सी." से अभिप्रेत है, इंडियन नर्सिंग कौंसिल (भारतीय उपचर्या परिषद्).

101

102 (26) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024

अनुसूची–11
(नियम–5 देखिए)
शैक्षणिक अर्हताएं

अनुक्रमांक	पाठ्यक्रम	छात्र/छात्रा के प्रवेश हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
1.	सहायी उपचारिका – प्रसाविका	10+2 जीव विज्ञान से उत्तीर्ण
2.	उपचारिका प्रसाविका	10+2 जीव विज्ञान से उत्तीर्ण
3.	बी.एस.सी. नर्सिंग	10+2 जीव विज्ञान से उत्तीर्ण
4.	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	उपचारिका प्रसाविका
5.	एम.एस.सी. नर्सिंग	उपचारिका प्रसाविका/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग
6.	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कार्डियो थोरेसिक नर्सिंग	उपचारिका प्रसाविका/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग
7.	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. डिप्लोमा इन ऑपरेशन रूम नर्सिंग	उपचारिका प्रसाविका/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग
8.	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. डिप्लोमा इन अंकोलॉजी नर्सिंग	उपचारिका प्रसाविका/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग
9.	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग	उपचारिका प्रसाविका/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग
10.	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. डिप्लोमा इन इमरजेंसी एण्ड डिजास्टर नर्सिंग	उपचारिका प्रसाविका/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग
11.	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. डिप्लोमा इन नियोनेटल नर्सिंग	उपचारिका प्रसाविका/बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग
12.	आई.एन.सी. द्वारा निगत अथवा मान्य अन्य कोई भी पाठ्यक्रम	–
13.	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित अन्य कोई पाठ्यक्रम।	–

राकेश कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव

नए म.प्र. नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम जिससे फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को बढ़ावा मिलेगा।

370 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 01 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सीबीआई में अभूतपूर्व रिश्वतखोरी के बाद शीर्ष अधिकारी शुरू से ही घोटाले की पुनः जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में दर्जनों नर्सिंग कॉलेज नियमों को ताक पर

आखिर सुनीता शीजू को स्टाफ नर्स से रजिस्ट्रार किसने बनाया?

सुनीता शीजू हमीदिया हॉस्पीटल की स्कूल ऑफ नर्सिंग भोपाल में स्टॉफ नर्स थी। इस घोटाले में एक बड़ा किरदार सुनीता शीजू का कार्यकाल भी रहा। 22 सितम्बर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक सुनीता शीजू को मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काऊंसिल की रजिस्ट्रार के पद पर रही। इनके कार्यकाल में ही फर्जी कालेजों का अंबार सा लग गया। निरंतर शासन को इनकी शिकायतें की गई पर कमिश्नर निशांत वरवड़े, अतिरिक्त मुख्य सचिव मो. सुलेमान और मंत्री विश्वास सारंग की खासमखास एवं प्रिय सुनीता शीजू बनी रही। गौरतलब है कि रजिस्ट्रार पद के लिए 15 वर्ष की सेवा और 05 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव अनिवार्य होता है। उसके बाद भी मंत्री, एसीएस, कमिश्नर ने पता नहीं किस कारण से रजिस्ट्रार बना दिया। शीजू को तीनों का इतना वरदहस्त प्राप्त था कि अगस्त 2022 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को शीजू ने गुमराह करते हुये बताया था कि 49 कॉलेजों की मान्यता मापदण्ड के अनुसार दी गई है। जबकि यह सभी कॉलेज मापदण्डों के अनुरूप नहीं थे। जब याचिका लगाने वाले लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन तथ्यों के साथ माननीय अदालत में अपना पक्ष रखा तो हाईकोर्ट ने शीजू को निलंबित करने के लिए कहा गया। शासन द्वारा निलंबित करने के बाद सुनीता शीजू को विदिशा मेडिकल कॉलेज में अटैच किया गया पर वरिष्ठ अधिकारियों की मेहरबानी ऐसी रही की सुनीता शीजू को संचालनालय में खुद अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिए गये अपने आवेदन के आधार पर किया गया, जबकि स्टाफ नर्स का यहां पर कोई काम नहीं है। शासन द्वारा अपना पक्ष न रखे जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने शीजू का निलंबन स्थगित कर दिया। मोहन यादव सरकार बनने से पहले सुनीता शीजू को हर संभव मदद की गई पर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद और उनकी सख्ती के बाद ही सुनीता शीजू की बर्खास्तगी हुई है। गौरतलब बात यह है कि यह पूरा मामला उजागर होने के बाद निशांत वरवड़े छुट्टी पर चले गये। अब मोहन यादव सरकार की तरफ प्रदेश की जनता आशा भरी नजरों से देख रही कि इतने बड़े फर्जीवाड़े को लेकर आखिर तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव मो. सुलेमान एवं निशात वरवड़े पर कब कार्यवाही होती है।

रखकर कागजों पर चल रहे थे। मामले की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों ने भी घूसखोरी कर ऐसे कॉलेज को क्लीनचिट दे दी थी। मामला उजागर होने पर हाइकोर्ट ने अवैध तरीके से चल रहे प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज को सील करने के आदेश दिए थे।

क्या विश्वास सारंग के ओएसडी महेन्द्र गुप्ता हैं नर्सिंग घोटाले की मुख्य कड़ी?

नर्सिंग घोटाले का पर्दाफांस करने वाले व्हिसब्लोवअर और संगठनों ने विश्वास सारंग के ओएसडी रहे महेन्द्र गुप्ता को इस पूरे घोटाले की मुख्य कड़ी बतलाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इसी ओएसडी की भूमिका को लेकर आरोप लगाया कि महेन्द्र गुप्ता, निशांत वरवड़े और मो. सुलेमान के बीच की कड़ी थे, जहां मंत्री विश्वास सारंग के आदेश के स्वास्थ्य संचालनालय तक पहुंचाते थे। जांच एजेंसियां अगर महेन्द्र गुप्ता को लेकर सघनता से जांच करें तो मंत्री विश्वास सारंग की इस घोटाले को लेकर पूरी कुंडली तैयार हो जाएगी। नर्सिंग घोटाले के मुख्य सूत्रधार में महेन्द्र गुप्ता हैं क्योंकि नर्सिंग कॉलेजों से लेकर आदेश पारित करवाने का बैकडोर काम वही करते थे इसको लेकर उमंग सिंघार ने सरकार पर आरोप लगाया है। अब सवाल यह उठता है कि जब घोटाले के मुख्य सूत्रधार तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग उनके ओएसडी महेन्द्र गुप्ता, तत्कालीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निशांत वरवड़े, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो. सुलेमान सहित मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी एवं नर्सिंग एसोसिएशन शामिल रहे, जिसमें से अब मोहन यादव सरकार को तत्काल विश्वास सारंग, मो. सुलेमान, निशांत वरवड़े एवं महेन्द्र गुप्ता पर जांच बिठाकर कार्यवाही करनी चाहिए।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को अपनी अंतिम स्थिति रिपोर्ट में सीबीआई ने 169 नर्सिंग कॉलेजों की सूची प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी जांच में उनमें से अधिकांश को उपयुक्त पाया, जबकि कुछ में मामूली कमियां थीं। इसने 73 नर्सिंग कॉलेजोंको

एक ही व्यक्ति 10 से 15 जगह नौकरी पर ऐसी 500 फेकल्टी की लिस्ट थमाकर चल रहे थे फर्जी नर्सिंग कॉलेज

नर्सिंग कॉलेजों में 14 हजार में से 4500 ऐसी टीचिंग फैकल्टी रजिस्टर्ड हैं। जो कागजों में यहां पर पढ़ाने काम करती हैं। ये सारी फैकल्टी बाहरी राज्यों की हैं। इनका माइग्रेशन व रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउसिंल में किया गया है। इसमें से 500 फैकल्टी ऐसी हैं, जिनके माइग्रेशन/पंजीयन नंबरों को एक से अधिक बार फर्जी तरीके से अलग अलग जनरेट कर प्रदेश के अलग-अलग कॉलेजों में मान्यता प्राप्त करने दर्शाया गया है। खास बात ये है कि ये 500 फैकल्टी ऐसी हैं, जिनके एक ही समय पर अलग-अलग कॉलेज संचालकों ने माइग्रेशन नंबर बनाए और एक ही साथ कई कॉलेजों में काम करना दिखाया गया। कई कॉलेजों में एक ही व्यक्ति के 15 तो कई के 18 से ज्यादा बार माइग्रेशन नंबर को अलग-अलग तरीके से जरनेट किया गया। इनको कॉलेजों में फैकल्टी के रूप में दर्ज कराया गया। बड़ा सवाल ये है कि एक ही व्यक्ति की डुप्लीकेट माइग्रेशन नंबर के आधार पर उसे अलग-अलग कॉलेज में काम करना बिना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की सहमति के संभव ही नहीं है। ये फर्जीवाड़ा खुलने के बाद भी न तो शासन और न ही नर्सिंग काउसिंल ने संचालक और फैकल्टी मेंबर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। प्रशासक मप्र ना.रा.को. को दिनांक 24.07.2023 एवं दिनांक 04.08.2023 एवं 08.08.2023 को दोषी संस्थाओं पर कार्यवायी हेतु पत्र लिखा गया था। नर्सिंग मान्यता नियम 2018 के संशोधित नियमों के विरूद्ध जाकर माईग्रेट फैकल्टी के नाम में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 204 कॉलेजों को पूर्व प्रशासक द्वारा सत्र 2022-23 में 284 कालेजों की मान्यता प्रदान किया गया था एवं सत्र 2021-2022 में 227 नर्सिंग कालेजों को डुप्लीकेट फैकल्टी उपयोग करने के बाद भी मान्यता दिया गया था। जो नियम विरूद्ध होने के कारण उक्त सभी कॉलेजों पर मान्यता पर वैधानिक कार्यवाही एवं कूटरचित दस्तावेज उपयोग करने पर कानूनी कार्यवाही के लिये पत्र लिखा गया।

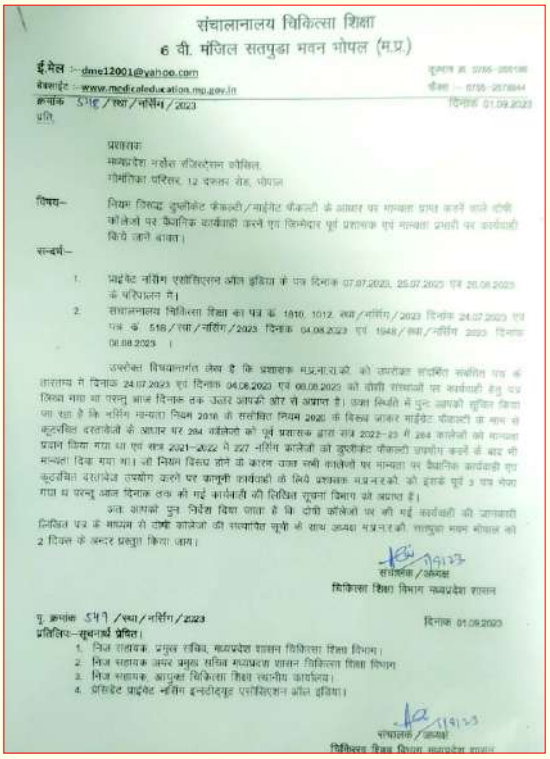

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
6 वी. मंजिल सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.)

ई.मेल :- dme12001@yahoo.com
वेबसाईट :- www.medicaleducation.mp.gov.in
क्रमांक 546/स्था/नर्सिंग/2023 — दिनांक 01.09.2023
प्रति,

प्रशासक
मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गौमतिका परिसर, 12 दफ्तर रोड, भोपाल

विषय– नियम विरुद्ध डुप्लीकेट फैकल्टी/माईग्रेट फैकल्टी के आधार पर मान्यता प्राप्त करने वाले दोषी कॉलेजों पर वैधानिक कार्यवाही करने एवं जिम्मेदार पूर्व प्रशासक एवं मान्यता प्रभारी पर कार्यवाही किये जाने बाबत।

सन्दर्भ–
1. प्राईवेट नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पत्र दिनांक 07.07.2023, 25.07.2023 एवं 20.08.2023 के परिपालन में।
2. संचालनालय चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्र. 1010, 1012 स्था/नर्सिंग/2023 दिनांक 24.07.2023 एवं पत्र क्र. 518/स्था/नर्सिंग/2023 दिनांक 04.08.2023 एवं 1048/स्था/नर्सिंग 2023 दिनांक 08.08.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासक म.प्र.ना.रा.कौ. को उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में दिनांक 24.07.2023 एवं दिनांक 04.08.2023 एवं 08.08.2023 को दोषी संस्थाओं पर कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था परन्तु आज दिनांक तक उत्तर आपकी ओर से अप्राप्त है। ...

अतः आपको पुनः निर्देश दिया जाता है कि दोषी कॉलेजों पर की गई कार्यवाही की जानकारी लिखित पत्र के माध्यम से दोषी कालेजों की सत्यापित सूची के साथ अध्यक्ष म.प्र.न.र.कौ. सतपुड़ा भवन भोपाल को 2 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाय।

संचालक/अध्यक्ष
चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन

पृ. क्रमांक 547/स्था/नर्सिंग/2023 — दिनांक 01.09.2023
प्रतिलिपि–सूचनार्थ प्रेषित।
1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक अपर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निज सहायक, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा स्थानीय कार्यालय।
4. प्रेसिडेंट प्राईवेट नर्सिंग इन्स्टीट्यूट एसोसिएशन ऑफ इंडिया।

संचालक/अध्यक्ष
चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन

डुप्लीकेट फैकल्टियों को लेकर शिकायतों के बाद संचालनालय द्वारा कार्यवाही पत्र

अपूर्ण और 66 को अनुपयुक्त के रूप में पहचाना। कुछ सीबीआई अधिकारियों का मानना है कि किसी भी संदेह से बचने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले कॉलेजों की फिर से जांच की जानी चाहिए। अदालत ने 2019-20 और 2020-2021 बैच के

लगभग 35,000 नर्सिंग छात्रों को अपने कॉलेजों में परीक्षा देने की अनुमति दी है, लेकिन इन कॉलेजों में 2021-22 और 2022-23 बैच के लगभग 50,000 छात्रों के लिए अभी तक कोई निर्देश नहीं है।

चिकित्सा विभाग में हुए भ्रष्टाचार को दबाने की साजिश तो नहीं थी

सतपुड़ा भवन में आग की घटना?

मध्यप्रदेश की सबसे पुरानी शासकीय इमारतों में शामिल सतपुड़ा भवन में बीते दिनों लगी आग लगी थी। इस आग में शासकीय विभागों की फाईलें भी जलकर खाक हो गई थी। जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण फाईलें थी। इस विभाग के मंत्री विश्वास सारंग हैं। वर्तमान में प्रदेश का बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला इन्हीं के विभाग का है। शासकीय इमारत में आग लगना और प्रदेश के प्रमुख विभागों की फाइलों का धू-धू कर जल जाना कोई आम बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खासों में गिने जाने वाले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का जैसे-जैसे राजनीतिक कद बढ़ता गया वैसे-वैसे ही इनके अनिमियतताओं के कारनामें भी बढ़ते गये। मनपसंद विभाग लेने के साथ-साथ प्रदेश की राजनीतिक फैसलों में अपनी दखलअंदाजी बढ़ा रहे हैं। जिसे हम भोपाल महापौर मालती राय की टिकट के मामले से समझ सकते हैं। विरासत में मिली राजनीति और बिना जमीनी संघर्ष के इस मुकाम तक पहुंचे सारंग के कारनामों का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। 2020 में कांग्रेस सरकार के पलटते ही विश्वास सारंग को प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ मंत्री का पद मिला। इनके इसी कार्यकाल में प्रदेश का सबसे चर्चित 2000 करोड़ का नर्सिंग घोटाला और मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में व्याप्त घोटालों का मामला सामने आया। मंत्री विश्वास सारंग की चापलूसी और अड़ियल रवैये के कारण ही नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इसके अलावा कोरोना के समय जिस तरह निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकार ने पैसों की बंदरबांट की उसका आज तक कोई ऑडिट सरकार द्वारा नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्री सारंग ने कोरोना संकट के दौरान रेमडिसीवर इंजेक्शन, अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराने संबंधी कई प्रमुख मामलों पर भ्रष्टाचार किया था। कोरोना काल में मंत्री सारंग ने भारी आर्थिक अनिमितताएं की हैं। नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता शिजु ने फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के आरोप लगाये। मंत्री सारंग के इशारे पर ही सुनीता को रजिस्ट्रार पद पर योग्य नहीं होने के बाद भी बैठाया गया।

कैसे बढ़ा सारंग का राजनीति में कद

बात वर्ष 2005 की है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान की घोषणा हुई और वो ट्रेन से भोपाल आए तब उनके स्वागत में भाजयुमो में पदाधिकारी सबसे आगे नजर आए। उस समय सारंग भाजयुमो में थे। तब से अब तक जमीनी संघर्ष के बिना विश्वास सारंग को प्रदेश की राजनीति में तरक्की पर तरक्की मिलती गई। विश्वास सारंग दिवंगत भाजपा सांसद और कोषाध्यक्ष रहे कैलाश सारंग के पुत्र हैं। इनके परिवार पर भाजपा से आर्थिक अनियमिताओं के आरोप लगे थे। आज मंत्री सारंग के खिलाफजो भी लिखता या सामने आता था वो उसे अपने रास्ते से हटाते जाते हैं। एक बार भोपाल के एक प्रतिष्ठित अखबार में विश्वास सारंग के खिलाफ पन्ने भर की खबर प्रकाशित की। पर मालिक की नजदीकी के कारण अगले ही दिन खिलाफ छापने वाले पत्रकार को अखबार में लिखित क्षमा मांगनी पड़ी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा संगठन को देखना चाहिए कि कैसे चिकित्सा शिक्षा से भ्रष्टाचार किया गया, कैसे मंत्री जी के भाई विवेक सारंग प्रदेश के बड़े उद्यमी बन गए।

अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी सीबीआई जांच

अक्टूबर 2022 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई। शुरूआती जांच में कई नर्सिंग कॉलेजों में व्यापक अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के सभी 364 नर्सिंग कॉलेजों की व्यापक जांच का आदेश दिया। ये कॉलेज अनिवार्य मानकों को पूरा नहीं

क्या है नर्सिंग कॉलेज का डुप्लिकेट फैकल्टी घोटाला?

मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला साल 2020 में सामने आया था। यह पता चला थी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी हुई थी जो या तो केवल कागजों पर चल रहे थे या किराए के एक कमरे में चल रहे थे। कई नर्सिंग कॉलेज किसी अस्पताल से एफिलिएटेड नहीं थे। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने राज्य के सभी 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब ये भी सामने आया है कि प्रदेश के 800 नर्सिंग कॉलेजों की 14,000 में से 3,000 फैकल्टी ऐसी है जो बाहरी राज्यों की हैं। ये फैकल्टी प्रदेश के कॉलेजों में सिर्फ ऑन पेपर रजिस्टर्ड हैं। नर्सिंग काउंसिल ने इनका माइग्रेशन और रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 600 फैकल्टी ऐसी है, जिनके माइग्रेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर को कई तरीकों से बदलकर एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। नर्सिंग काउंसिल के साल 2020-21 के रिकार्ड्स में लीना नाम की 42 साल की महिला को बड़वानी के योगेश्वर नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय का प्रिंसिपल बताया गया। रिकार्ड्स के मुताबिक कॉलेज में इस कोर्स में करीब 90 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। लीना नाम की इसी महिला को बड़वानी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर 08 और नर्सिंग कॉलेजों की प्रिंसिपल भी बताया गया है। इसी तरह विष्णु कुमार स्वर्णकार 15 नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

अपने भविष्य को लेकर हजारों नर्सिंग छात्र सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे है कि उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी भरपायी की जाए।

अब तक क्या-क्या हुआ- दरअसल, 2022 की शुरुआत में प्रदेश के 55 नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में गड़बड़ी की जांच करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये कॉलेज किसी भी थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाई के बिना ही स्टूडेंट्स को डिग्री दे रहे थे। हाईकोर्ट ने अब तक ऐसे 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। 2022 में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) भी नर्सिंग कॉलेज घोटाले में जांच शुरू की थी। इंदौर और ग्वालियर के नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी की जांच कर रहे ग्वालियर डिवीजन बेंच के जस्टिस रोहित आर्या और मिलिंद रमेश फड़के ने फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने के मामले की जांच के लिए सीबीआई डायरेक्टर को सीनियर ऑफिसर नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। जुलाई 2023 में नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार स्टेला पीटर को हटाया गया। वहीं, काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को दतिया मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रदेश में छतरपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, नर्मदापुरम, धार, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, पन्ना, विदिशा, टीकमगढ़, शहडोल, सिवनी, सीहोर जैसे जिलों के कॉलेज भी शामिल हैं। इनमें से कुछ कॉलेजों में दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के छात्रों ने भी एडमिशन लिया था।

करते थे, फिर भी मंजूरी पाने में कामयाब रहे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने निरीक्षण दल बनाए, जिसमें उसके अपने अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और भूमि रिकॉर्ड अधिकारी शामिल थे।

रिश्वतखोरी रैकेट का खुलासा

गौरतलब है कि हाल ही में हुए खुलासे में निरीक्षण दल के एक हिस्से में भ्रष्टाचार का जाल उजागर हुआ है। आरोप है कि कुछ

व्यापमं जैसा है नर्सिंग घोटाला!

कहा जा रहा है कि नर्सिंग घोटाला भी प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले जैसा है और व्यापमं पार्ट-2 भी इसे कहा जा रहा है। बता दें कि व्यापमं घोटाला उजागर होने से मध्यप्रदेश की खूब किरकिरी हुई थी। वर्ष 2013 में एसटीएफ ने व्यापमं घोटाले की जांच शुरू की थी। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को निगरानी सौंपी गई थी। वर्ष 2015 में 212 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जिसके बाद 1242 लोगों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पेश की गई। अगस्त 2023 में तीन को 07 साल की जेल हुई और सुनवाई अभी भी जारी है। व्यापमं घोटाले में तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सहित अन्य रसूखदारों को जेल की हवा खाना पड़ी थी और इसकी आंच राजभवन तक पहुंची थी।

नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी 2020 से बढ़ी

मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में तय मापदंडों के साथ तो मजाक हुआ ही, ऐसे विद्यार्थी भी यहां से डिग्री, डिप्लोमा लेकर चले गए जिन्होंने कभी कालेज का भवन तक नहीं देखा। फर्जी तरीके से संचालित इन कालेजों में प्रवेश के लिए सबसे अधिक विद्यार्थी बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आते थे। इनमें अधिकतर जीएनएम डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेते थे। मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से लेकर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी इन कॉलेजों की कभी जांच नहीं की। कॉलेजों में गड़बड़ी सन 2018 से बढ़ी, जब राज्य सरकार ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) की जगह अपने मापदंड निर्धारित किए। यह मापदंड आईएनसी से अधिक सरल कर दिए गए, जिससे बड़ी संख्या में कॉलेज खुले। मप्र नर्सिंग काउंसिल ने मानक पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों को भी मान्यता दे दी। सूत्रों ने बताया कि दलालों के माध्यम से दूसरे राज्यों के विद्यार्थी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेते थे। वह सिर्फ परीक्षा देने के लिए आते थे। इनमें सबसे अधिक बिहार के रहते थे। कॉलेज संचालक इनसे मनमाने पैसा लेते थे। दूसरे नंबर पर दूसरे राज्यों से सबसे अधिक विद्यार्थी राजस्थान से आ रहे थे। यहां के युवाओं के लिए नर्सिंग सर्वाधिक पसंद का पेशा है, पर सभी को वहां के कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाता। इस कारण वे दूसरे राज्यों में डिग्री-डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं।

प्रदेश में वर्ष 2020-21 के बाद से नर्सिंग कॉलेजों की बाढ़ आ गई। गड़बड़ी का ऐसा खेल चला कि कालेजों के जो पते दिए गए थे, वहां कहीं स्कूल तो कहीं और कुछ काम होता मिला। आदिवासी जिलों में इस दौरान खूब कॉलेज खुले। कारण, एससी-एसटी विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति थी। नर्सिंग के अलग-अलग कोर्स में एक विद्यार्थी को 30 हजार से 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलती है। इसके फेर में आदिवासी जिलों जैसे बैतूल, बड़वानी, खरगोन, धार आदि जिलों में खूब कॉलेज खुले। सीबीआई ने अपनी जांच में जिन 66 कालेजों को अनुपयुक्त बताया है, उनमें पांच बैतूल और तीन धार के हैं। इसी तरह उपयुक्त बताए गए कॉलेजों में सात बड़वानी के हैं। आदिवासी क्षेत्रों में अधिक कॉलेज खोलने की दूसरी वजह यह भी रही कि इन आदिवासी जिलों में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की सरकारी अस्पतालों में क्लीनिकल ट्रेनिंग की आसानी से अनुमति मिल जाती है।

सीबीआई अधिकारियों ने निरीक्षकों, बिचौलियों और अधिकारियों के एक वर्ग के साथ मिलकर निरीक्षण रिपोर्ट में हेरफेर किया और उन्हें 2 लाख से 10 लाख रूपये की रिश्वत के लिए अनुकूल बनाया। सीबीआई की एफआईआर में कई बिचौलियों के नाम हैं, जिन्होंने कथित तौर पर संचार की सुविधा प्रदान की और रिश्वत ली, जिसे बाद में वितरित किया गया। वहीं,

शक के घेरे में सीबीआई!

जिनके जिम्मे सौंपी थी जांच की जिम्मेदारी वहीं निकले भ्रष्टाचारी- मध्यप्रदेश में नर्सिंग महाविद्यालय घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने खुलासा किया है कि उसके अधिकारी निरीक्षण के बाद अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए हर शिक्षण संस्थान से कथित रूप से दो से 10 लाख रुपये तक की रिश्वत ले रहे थे। इस मामले में सीबीआई के पुलिस उप अधीक्षक आशीष प्रसाद, निरीक्षक राहुल राज एवं सुशील कुमार मजोका तथा ऋषिकांत असाथे एजेंसी द्वारा नामजद 22 लोग शामिल हैं। राहुल राज और सुशील कुमार मजोका सीबीआई में मध्य प्रदेश पुलिस से संबद्ध थे। राज को गिरफ्तार कर लिया गया था।

भ्रष्टाचार में डूबे अफसर- कॉलेज संचालकों ने सी.बी.आई. अफसरों को ही रिश्वत के जाल में समेट दिया। एक-एक फर्जी कॉलेज को सही संचालन की टीप के एवज में केन्द्रीय जांच एजेंसी सी.बी.आई. के अफसरों ने लाखों रूपये एक-एक कॉलेज संचालकों से लिये और करोड़ो रूपये की वसूली की। दिल्ली सी.बी.आई. की जांच में एडीशनल एस.पी. दीपक पुरोहित को बचाया जा रहा है। जबकि इस अधिकारी ने भी अनेक कॉलेजोंकी जांच कर क्लीनचिट दी थी।

नर्सिंग कॉलेजों का भंडाफोड़ करने की जगह दलालों के माध्यम से करोड़ों रूपये बटोर चुके है। सी.बी.आई. अफसरों ने भोपाल में कार्यरत सी.बी.आई. के अफसरों को पर्याप्त साक्ष्य एवं दस्तावेज एकत्र कर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है।

रिश्वत लेकर दे दी क्लीनचिट, कोडवर्ड से लिए लाखों रूपए- सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर नर्सिंग कॉलेजों को क्लीनचिट वाली रिपोर्ट दी थी। इसकी जांच में कई खुलासे सामने आए हैं। सीबीआई निरीक्षक राहुल राज ने कई प्रिंसिपलों को भ्रष्टाचार के लिए साथ मिलाया। कई कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने रिश्वत के पैसे निरीक्षक राहुल राज तक पहुंचाए थे।

मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के घोटालों की जांच कर रही सीबीआई टीम के 02 इंस्पेक्टर्स और 11 अन्य के अरेस्ट होने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। सीबीआई पूछताछ के लिए आरोपियों को दिल्ली लेकर गई है। कई कोड वर्ड थे, जिनके जरिए लाखों का लेनदेन हुआ है और इसमें सीबीआई के अफसर भी शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की स्पेशल टीम ने भोपाल, इंदौर, जयपुर समेत 30 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा था।

एफआईआर में कथित रिश्वतखोरी मामलों का विवरण है, जिसमें यह भी शामिल है कि कितना पैसा कहां और कैसे पहुंचाया गया और बिचौलिए कौन थे। एफआईआर के अनुसार 08 मई 2024 को एक आरोपी की ओर से इंदौर के एक व्यवसायी को 15

मध्यप्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सीबीआई के निरीक्षक राहुल राज को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा भी कई लोगो की गिरफ्तारियां हुई है। राहुल राज का सीबीआई मध्यप्रदेश से ताल्लुक है। इन पर आरोप है कि इन्होंने रिश्वत लेकर नर्सिंग कॉलेजों को क्लीनचिट वाली रिपोर्ट दी थी।

लाख रूपये दिए गए। दो दिन बाद, कथित तौर पर उसे 16 लाख रूपए और दिए गए और इस पैसे में से कुछ का इस्तेमाल रतलाम में 400 ग्राम सोना खरीदने के लिए किया गया। एक अन्य कथित लेनदेन में बताया गया है कि कैसे 10 लाख रूपये इंदौर से भोपाल स्थानांतरित किए गए ताकि उन्हें सीबीआई इंस्पेक्टर को भेजा जा सके।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। यह घोटाला कई नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में घोर अनियमितताओं से संबंधित है, जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी थी। जबकि कुछ केवल कागजों पर ही अस्तित्व में थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 31

यह है नर्सिंग कालेजों का गणित

- मध्यप्रदेश में कुल कालेज (जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ उन्हें मिलाकर)- 756।
- सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिला हुआ है- 58।
- हाईकोर्ट ने सीबीआई को जितने कालेजों की जांच के लिए कहा- 368।
- सीबीआई ने जितने कालेजों की जांच की- 308।
- जांच में सीबीआई ने उपयुक्तबताया- 169।
- अनुपयुक्त बताया- 66।
- कमियों से साथ उपयुक्त बताया- 73।
- सीबीआई द्वारा उपयुक्त बताए गए कालेज- 169।
- सीबीआई द्वारा उपयुक्त या कमियों के साथ उपयुक्त बताए कालेजों और सुप्रीम कोर्ट से स्थगन वाले कालेजों को छोड़कर अन्य- 390।
- कुल कालेज जिनकी अब सीबीआई जांच होगी- 559।

पैरामेडिकल काउंसिल में भी जमकर हुआ भ्रष्टाचार

विश्वास सारंग के खासमखास अंकित श्रीवास्तव को बनवाकर रखा था पैरामेडिकल काउंसिल का डिप्टी रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल फीजियोथेरेपी, लेब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, न्यूट्रीशियन, माईक्रो बायलॉजी, नेचिरोपेथी, डी फार्मा आयुर्वेद सहित चिकित्सा विज्ञान में सभी टेक्नीशियन के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पीजी कोर्सेस के लिए निजी संस्थानों को संबद्धता देती है। पैरामेडिकल काउंसिल में भी अपात्र संस्थानों को संबद्धता प्रदान कर रखी है और यह गोरखधंधा प्रदेश के करीब 70 प्रतिशत कॉलेजों तक फैला है। विश्वास सारंग ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुये अपने खासमखास अंकित श्रीवास्तव को डिप्टी रजिस्ट्रार बनवाकर रखा था। सरकार द्वारा अंकित श्रीवास्तव की कुंडली खंगाली जाये तो भ्रष्टाचार का पूरा खेल सामने आ जायेगा। दरअसल अंकित श्रीवास्तव के कार्यकाल के दौरान कई अपात्र संस्थानों की संबद्धता पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा दी गई। इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच सघनता से करने के बाद यह घोटाला नर्सिंग घोटाले को भी मात दे सकता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मोहन यादव सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नहीं करती है तो मैं ही जांच एजेंसियों को इस बड़े घोटाले के दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगी। मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एक मल के दल-दल के समान हो गया है जहां पर लाखों विद्यार्थी इस दल-दल में फंसे भी हुये हैं और भ्रष्टाचारी मल की दुर्गंध के कारण अपना भविष्य चौपट कर चुके हैं। क्या नरेन्द्र मोदी का यह डेवलपमेंट युवाओं का डेवलपमेंट मॉडल है।

जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिया है। इंदौर सहित कई जिलों में ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरूकर दी गई है। इन कालेजों की बंदसूची में बैतूल के आठ, भोपाल के छह, इंदौर के पांच, छतरपुर, धार और सीहोर के चार-चार, नर्मदापुरम के तीन, भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, रीवा, सिवनी और शहडोल के दो-दो कॉलेज शामिल

आखिर किसने एक निजी कॉलेज संचालक से मांगे थे करोड़ों रूपए

मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एक बार फिर चर्चा का विषय बन गये हैं। इस बार सारंग पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और व्हिसलब्लोअर ने भी मप्र नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति को लेकर हुए अरबों रूपये के घोटाले का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के समय से लेकर अभी तक मंत्री सारंग के इशारे पर करोड़ों रु पये के भ्रष्टाचार को अंजाम देने का आरोप भी उमंग सिंघार ने लगाया है। खास बात यह है कि मंत्री सारंग के हस्तक्षेप के बाद ही पिछले दिनों प्रदेश के कई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द किये जाने के आदेश जारी हुए हैं। अब अपना प्रभाव का इस्तेमाल कर विश्वास सारंग ने कितने का भ्रष्टाचार किया इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही इनके ओएसडी महेन्द्र गुप्ता को इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है। इनके बेहिसाब धनअर्जन के दस्तावेज जगत विजन जांच ऐजेंसियों के साथ साझा करेगी। जो नर्सिंग कॉलेज मोटी रकम नहीं पहुंचा पाते थे उन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को रद्द करवाकर प्रदेश के लाखों नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। प्रदेश में फैलते अवैध नर्सिंग

हैं। अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर के एक-एक कॉलेज भी सूची में शामिल हैं।

रिश्वतखोर सीबीआई अफसर

शिकायत के आधार पर इसकी जांच हुई। आरोप लगे कि नियमों को ताक में रखकर कॉलेजों को मान्यता दी गई। दो-

कॉलेज का कारोबार आखिर किसकी शह पर चल रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है की इस मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने जब इस मामले में संज्ञान लिया तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता नर्सिंग संघ देता है जिसे मंत्री जी का वरदहस्त मिला हुआ है।

कोरोना में मेडिकल कॉलेजों से मिली मोटी कमाई

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की शहर के दो बड़े मेडिकल कॉलेज चिरायु और एलएन मेडिकल कॉलेज पर कोरोना काल में मेहरबानी देखते ही बनी। शासन द्वारा करोड़ों रूपये का भुगतान इन दोनो अस्पताल को किया गया। इन अस्पतालों में हुई अव्यवस्था का सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, गौरतलब है इन्ही दोनों अस्पताल में कोविड की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई। सरकार ने इन अस्पताल का ऑडिट करवाना भी उचित नहीं समझा। कोविड के समय लाश के ऊपर पैसे कमाए गए। सारंग ने जब से चिकित्सा शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला तभी से उनकी दोनों ही मेडिकल कॉलेजों के संचालकों से गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज संचालकों ने भी दबाव में मंत्री के इशारे पर कोरोना संक्रमण काल में जमकर लूट मचाई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ मचाई जा रही यह लूट की बात किसी से छुपी नहीं है। यहां तक शिवराज सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री भी सारंग की इस कार्यशैली के विरूद्ध हैं और कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसकी शिकायत की थी।

कोरोना काल में मचाई थी लूट

मंत्री विश्वास सारंग व उनके करीबियों ने कोरोना के संकटकाल में जमकर लूट मचाई। जिस समय प्रदेश में कोरोना का संकट अपने चरम पर था। उस समय सारंग और उनके करीबी लोगों ने रेमडेसीवर इंजेक्शन व अन्य दवाईयों की जमकर लूट मचाई थी। सूत्रों के अनुसार सारंग के करीबियों ने तो शहर के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को भर्ती करवाने के लिये अस्पतालों के बेड उपलब्ध करवाने के नाम पर भी लोगों से मोटी रकम वसूली। यही नहीं जेके हॉस्टिपल में काम करने वाला एक कर्मचारी जब रेमडेसीवर इंजेक्शन की कालाबजारी करता पकड़ाया तो उस समय मंत्री सारंग ने ही बीच बचाव कर हॉस्पिटल की साख गिरने से बचाई थी। अब इस उपकार के बदले उनको क्या उपहार मिला इसकी जांच की जानी चाहिए।

तीन कमरों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। न तो कॉलेज में लैब है और न ही 100 बिस्तर का अस्पताल है। कई कॉलेज में तो फैकल्टी का ही पता नहीं है। सब कुछ कागजी है। ग्वालियर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद 364 नर्सिंग कॉलेजोंकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद लगा कि शायद बड़े खुलासे होंगे लेकिन जांच अफसर ही भ्रष्ट

इनका कहना है-

नर्सिंग घोटाले को देखकर लगता है कि व्यापमं, पटवारी भर्ती और महाकाल लोक में कैसे गुनहगारों को बचाया गया होगा- कमलनाथ

पटवारी भर्ती घोटाले को कैसे क्लीनचिट मिली होगी? महाकाल लोक घोटाले के गुनहगारों को कैसे बचाया गया होगा? जांच में इस तरह का भ्रष्टाचार बिना उपर के संरक्षण के नहीं हो सकता। सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब उच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच करायी जाए। नर्सिंग घोटाले की जांच की तस्वीर सामने आने पर पता लग गया कि व्यापमं घोटाले की जांच कैसी हुई होगी? यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के माध्यम से कही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का नर्सिंग कॉलेज घोटाला भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब यह साफ दिख रहा है कि राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियों ने जांच के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया। इससे यह भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में कैसे लीपापोती की गई होगी? जांच में इस तरह का भ्रष्टाचार बिना ऊपर के संरक्षण के नहीं हो सकता। सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब उच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच करायी जाए। नर्सिंग घोटाले की जांच की तस्वीर सामने आने पर पता लग गया कि व्यापमं घोटाले की जांच कैसी हुई होगी?

निकले, वे भी बिक गए। सीबीआई अफसरों ने ही अपने अफसरों को घूस लेते पकड़ा। ये अनुपयुक्त कॉलेजों को उपयुक्त रिपोर्ट दे रहे थे। ये अफसर नर्सिंग कॉलेजों को क्लीनचिट देने के लिए रिश्वत ले रहे थे। इसमें सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज 10 लाख की रिश्वत लेते धरा गया। इसे बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य अफसरों भी गाज गिरी है। कॉलेज संचालक, प्राचार्य, दलाल भी पकड़े गए। सीबीआई विजिलेंस टीम ने मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर और रतलाम के अलावा राजस्थान के जयपुर में 31 ठिकानों पर छापेमारी कर CBI के तीन अधिकारियों समेत 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यहां से कुल 2.33 करोड़ नकद के अलावा चार सोने के बिस्किट और 36 डिजिटल डिवाइज बरामद की गई हैं। आरोपियों से 150 से

इनका कहना है-

भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है सरकार - दिग्विजय सिंह

तत्कालीन मंत्री परिषद के सदस्यों की शह पर अफसरों ने म.प्र. नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता अधिनियम 2018 की धज्जियां उड़ाते हुए 300 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिये। इन फर्जी कॉलेजों में न पर्याप्त स्थान था, न ही वांछित बिस्तरों का अस्पताल। यही नहीं माइग्रेट फेकल्टी के नाम पर दूसरे राज्यों के शिक्षकों को इन संस्थाओं में कार्यरत दिखाकर धोखाधड़ी की। शिक्षा माफिया और अफसरों के गठजोड़ ने हजारों छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। मंत्री स्तर से संरक्षण प्राप्त विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव से लेकर आयुक्त/ संचालक तकनीकी शिक्षा ने नर्सिंग डिग्री और डिप्लोमा जैसे कोर्स की विश्वनीयता संदिग्ध बना दी। मध्यप्रदेश सहित बाहर के राज्यों के नौजवानों के एडमिशन कागजी खानापूर्ति के लिये खुली छूट दे दी। बिना नर्सिंग कॉलेज में पढ़े डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त ये हजारों छात्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर जनता से द्रोह किया गया है। यह बात दिग्विजय सिंह ने कही है। दिग्विजय सिंह ने मांग करते हुए आगे कहा कि दिल्ली मुख्यालय में पदस्थ ईमानदार पुलिस अफसरों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर माननीय उच्च न्यायालय के माननीय सिटींग जज की देखरेख में समय-सीमा तय करते हुए मध्य प्रदेश में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों की जांच कराई जाये। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार स्वत: फंसने के डर से मामले की गहराई से जांच कराना नही चाह रही है। केन्द्रीय स्तर से सी.बी.आई. जांच कराने पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी, शिक्षा माफिया और सी.बी.आई. के स्थानीय अफसरों पर शिकंजा कस सकेगा तथा ऐसे दोषी अफसर जेल भी जायेंगे और सेवा से भी बर्खास्त होंगे।

अधिक अनाधिकृत दस्तावेज भी मिले हैं। CBI अफसरों के मुताबिक CBI भोपाल ने हाईकोर्ट के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए सात कोर टीम और चार सपोर्टिंग टीम बनाई थीं। CBI की विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि CBI के इन्सपेक्टर राहुल राज समेत अन्य CBI अधिकारी रिश्वत लेकर कॉलेजों को मनमाफिक रिपोर्ट दे रहे हैं। आंतरिक जांच के बाद पूरा सर्च ऑपरेशन किया गया।

सीबीआई ने 02 सीबीआई निरीक्षक समेत 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार

राहुल राज, इंस्पेक्टर सीबीआई, भोपाल, सुशील कुमार मजोका, इंस्पेक्टर, सीबीआई, अनिल भास्करन, चेयरमैन मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल, जुगल किशोर शर्मा, डायरेक्टर, भास्कर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर, जलपना

अधिकारी, प्रिंसीपल भावा यूनिवर्सिटी, भोपाल, रवि भदौरिया, चेयरमैन ऑफ आरडी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड फॉर्मेसी इंदौर, ओम गोस्वामी, प्रत्यांश कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंदौर, मो. तनवीर खान, सीईओ, पटेल मोटर्स, इंदौर, प्रीति तिलकवार, भोपाल, वेद शर्मा, इंदौर, सूमो अनिल भास्कर, भोपाल, सचिन जैन, भोपाल, राधा रमन शर्मा, ग्वालियर।

2019-20 के बाद धड़ल्ले से खुले थे 150 से अधिक कॉलेज

2020 के बाद ही मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से नर्सिंग कॉलेज खुलना शुरू हो गए थे। इसकी संख्या अचानक 150 से अधिक बढ़ गई थी। सत्र 2020-21 में 667 नर्सिंग कॉलेज हो गए थे, जबकि इससे पहले के सत्र में महज 448 नर्सिंग कॉलेज ही थी। इसके बाद सीबीआई ने पहले राउंड में 308 कॉलेज की जांच की थी। इसमें से 169

इनका कहना है-

व्यापमं की तरह हुआ है नर्सिंग घोटाला-उमंग सिंघार

मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले के पैमाने पर नर्सिंग कॉलेजों में घोटाला हुआ है। इस घोटाले ने व्यापमं घोटाले को भी पीछे छोड़ दिया है। इसमें फर्जी कॉलेजों को मान्यता देने, फर्जी डिग्रियां बांटने और छात्रों से अवैध स्कॉलरशिप लेने की भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। इस घोटाले में बीजेपी से जुड़े कई बड़े नेता संलिप्तता भी उजागर हुई है। यह बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस घोटाले को बड़े पैमाने पर उठाया जायेगा।

600 नर्सिंग कॉलेजों में 500 से ज्यादा फैकल्टी फर्जी, 4500 माइग्रेशन नंबर संदिग्ध

ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ग्वालियर-चंबल के 35 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता की जांच कर रही है। इसमें से 10 से कॉलेज पहले ही बंद हो चुके हैं। 25 कॉलेजों के आधे-अधूरे दस्तावेज सीबीआई ने नर्सिंग काउंसिल से जब्त कर लिए है। जिस तरह की गड़बड़ी इन कॉलेजों हुई है, ठीक उसी तरह की गड़बड़ी प्रदेश के 600 नर्सिंग कॉलेजों में सामने आ रही है। इन कॉलेजों में 14 हजार में से 4500 ऐसी टीचिंग फैकल्टी रजिस्टर्ड हैं। जो कागजों में यहां पर पढ़ाने काम करती हैं। ये सारी फैकल्टी बाहरी राज्यों की हैं। इनका माइग्रेशन व रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में किया गया है। इसमें से 500 फैकल्टी ऐसी हैं, जिनके माइग्रेशन/पंजीयन नंबरों को एक से अधिक बार फर्जी तरीके से अलग-अलग जनरेट कर प्रदेश के अलग-अलग कॉलेजों में मान्यता प्राप्त करने दर्शाया गया है। कॉलेज संचालकों ने यह धांधली इसलिए की, क्योंकि उन्हें 2020-21 और 2021-22 में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता लेना थी। इसके लिए उन्होंने माइग्रेशन नंबर फर्जी तरीके से जनरेट कर दिए। नर्सिंग काउसिंल ने भी इन फर्जी नंबरों का बिना देखे सत्यापन कर दिया।

खास बात ये है कि ये 500 फैकल्टी ऐसी हैं, जिनके एक ही समय पर अलग-अलग कॉलेज संचालकों ने माइग्रेशन नंबर बनाए और एक ही साथ कई कॉलेजों में काम करना दिखाया गया। कई कॉलेजों में एक ही व्यक्ति के 15 तो कई के 18 से ज्यादा बार माइग्रेशन नंबर को अलग-अलग तरीके से जरनेट किया गया। इनको कॉलेजों में फैकल्टी के रूप में दर्ज कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि कॉलेज संचालकों ने एक ही व्यक्ति माइग्रेशन नबर जनरेट करने के लिए उसकी जन्म तारीख को बदल दिया। किसी के मार्कशीट में दर्ज पास होने की साल का नंबर बदल दिया तो कई के नाम और सरनेम को बदलकर उसका माइग्रेशन नंबर जनरेट कर दिया गया। अलग-अलग कॉलेज में एक ही व्यक्ति को अलग-अलग पद पर काम करना दिखाया गया है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन म.प्र के अध्यक्ष विशाल बघेल ने बताया कि प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में कुल बाहरी राज्यों की 4500 माइग्रेशन नंबर से रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 1000 से ज्यादा डुप्लीकेट हैं। हाल ही में हमारी तरफ से 150 से ज्यादा फैकल्टी के डुप्लीकेट नंबरों के दस्तावेज हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के समक्ष पेश किए गए हैं।

कॉलेज पात्र पाए गए थे। वहीं 66 अपात्र और 73 डेफिशिएंट (कमी वाले) पाए गए थे।

66 अपात्र कॉलेजों की अब संबद्धता भी खत्म

सरकार ने जिन 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की थी, अब मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने उनकी संबद्धता खत्म कर दी है। ये सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए थे।

नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता की जांच करने गई सीबीआई की टीम में नर्सिंग स्टॉफ के साथ शामिल 13 नायब तहसीलदार और एक तहसीलदार की भूमिका भी संदेह के दायरे में आ गई है। राजस्व अफसरों को इसलिए जांच टीम में रखा गया था ताकि वे एक-एक या दो-दो कमरों के साथ छोटी जगहों और किराए की जगहों पर चल रहे कॉलेजों की वास्तविक सीमा बताएं। लेकिन इन्होंने निरीक्षण रिपोर्ट में ही गड़बड़ी कर दी। लेन-देन करने वालों के साथ मिलकर कई पहलुओं को अनदेखा कर दिया। आनन-फानन में अब राजस्व विभाग ने जांच दल में शामिल 13 नायब तहसीलदार और एक तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस थमाया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से पूछा है कि इनकी भूमिका क्या थी और उन्होंने इसका पालन कैसे और किस तरह किया। यह भी जानकारी चाही गई है कि निरीक्षण के दौरान इनकी ओर से क्या हर अनुउपयुक्त कॉलेज के लिए क्या टीप लिखी गई है। सूत्रों का कहना है कि मुख्य रूप से जवाबदार जांच दल के अफसरों की बर्खास्तगी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े व नर्सिंग स्टॉफ में अब तक 100 से अधिक लोगों को नोटिस हो चुके हैं। राजस्व विभाग ने नए सिरे से अपने अफसरों को घेरा है। नोटिस के जवाब के बाद यदि दोष पकड़ा गया तो इनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है। ऐसे में यह बड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें इतने क्लास वन अफसर (नायब तहसीलदार व तहसीलदार) शामिल होंगे। पहले सात मुख्य टीमें 368 कालेजों की जांच कर रही थीं। अधिकारियों को भोपाल से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर जांच करनी पड़ती है। नर्सिंग कालेज घोटाले की जांच के लिए अब सीबीआइ पांच-छह नई टीम बनाएगी। 599 कालेजों की जांच की जानी

इन जिलों में भी कॉलेजों की मान्यता निरस्त

छतरपुर	आधार नर्सिंग कॉलेज, जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, खजुराहो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, एसआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
धार	श्री व्यंकटेश नर्सिंग कॉलेज, रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नवरत्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रयागराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
जबलपुर	कोठरी नर्सिंग कॉलेज, प्रीति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस।
छिंदवाड़ा	ओरिएंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और रितु कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेस।
भिंड	आयुष्मान स्कूल ऑफ नर्सिंग और मां कृष्णा नर्सिंग कॉलेज ।
झाबुआ	मां पदमावती इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, अक्षर कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
मंडला	केयर स्कूल ऑफ नर्सिंग और शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
टीवा	शासकीय नर्सिंग कॉलेज और स्वास्तिक नर्सिंग कॉलेज ।
सिवनी	केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और रिनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
शहडोल	पंचशील इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और शारदा देवी नर्सिंग कॉलेज ।
बुरहानपुर	ऑल इज वेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
देवास	देवास नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय।
ग्वालियर	जय मां भगवती नर्सिंग कॉलेज ।
खंडवा	प्रतिभा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज।
खरगोन	श्री रेवा गुर्जर मेडिकल साइंस ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर।
मुरैना	बोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग।
पन्ना	छत्रसाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
सागर	डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग।
टीकमगढ़	दाउ सरदार सिंह नर्सिंग इंस्टीट्यूट।
उज्जैन	जेके कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
उमरिया	टीडी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर।
विदिशा	बीएम स्कूल ऑफ नर्सिंग।
श्योपुर	जेएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
आलीराजपुर	साईं स्कूल ऑफ नर्सिंग।
अनूपपुर	शारदा स्कूल ऑफ नर्सिंग।
बड़वानी	बड़वानी स्कूल ऑफ नर्सिंग।

नर्सिंग कॉलेजों के लिए मापदंड

आजकल मध्यप्रदेश सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग बन चुका है। पहले व्यापमं, उसके बाद नर्सिंग और अब पैरामेडिकल है। नर्सिंग काउंसिल समेत अन्य एसोसिएसन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को नर्सिंग काउंसिल बनाने के अधिकार दे दिए। नर्सिंग कॉलेज के लिए नियम है कि बिल्डिंग 3000 स्क्वायर फिट होना चाहिए, 100 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए। जहां एमएससी नर्सिंग कोर्स है, वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होना चाहिए। उनके साथ-साथ शिक्षकों का मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

फिट घोषित 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी

मध्यप्रदेश में सीबीआई की जांच में उपयुक्त (फिट) पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर ये आदेश दिया है। अदालत ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है। याचिकाकर्ता ने ऐसे कॉलेजों की फिर से जांच कराने की मांग का आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया था।

है। इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित की जाएंगी। जांच में एक वर्ष का समय लग सकता है क्योंकि विस्तृत जांच होनी है। इसमें सीबीआई को विशेषज्ञ के तौर पर नर्सिंग अधिकारियों का सहयोग लेना पड़ेगा। इसके पहले सात मुख्य टीमें 368 कालेजों की जांच कर रही थीं, इनमें नर्सिंग कालेजों से रिश्वत लेने के मामले में चार अधिकारी (दो सीबीआई संवर्ग और दो राज्य पुलिस संवर्ग के) आरोपित बनाए गए हैं। नए अधिकारी मिले नहीं हैं। इस कारण जांच के लिए पांच से छह टीमें ही बन पाएंगी। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को छोड़कर नर्सिंग कालेजों की पहले जो अधिकारी जांच कर रहे थे उन्हें नई टीमों में भी शामिल किया जाएगा। जांच में समय लगने की एक वजह यह भी है कि अधिकारियों को भोपाल से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर जांच करनी पड़ती है। ऐसे में एक टीम को एक कालेज की जांच लगभग दो दिन लग जाते हैं। कालेजों की नाप के लिए पटवारी और विशेषज्ञ के तौर शामिल होने वाले नर्सिंग अधिकारी भी कई बार उपलब्ध नहीं

मोटी रकम के बदले मिल रही थी क्लीनचिट

नर्सिंग घोटाले में शिक्षा माफिया, नेताओं और अफसरों का गठजोड़ ऐसा रहा कि जिनकी मान्यता खतरे में आई, उन्होंने मोटी रकम देकर क्लीनचिट ले ली। अब एक-एक नर्सिंग कॉलेज की जांच दोबारा हो गई। पूर्व में हुई जांच में 169 कॉलेजों को उपयुक्त, 73 नर्सिंग कॉलेजों को डिफिसेंट और 66 को अनुपयुक्त बताया गया था। उपयुक्त कॉलेजों की सूची उजागर होते ही इसकी पड़ताल की गई। नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिए जाने के दौरान तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। सारंग अभी भी राज्य सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस ने तो यहां तक सवाल उठाया है कि मंत्री को बर्खास्त कर जांच होना चाहिए। आखिर इन फर्जी कॉलेज को अनुमति कैसे मिल गई।

मोहन यादव सरकार के दामन में क्या पहला दाग साबित होगा नर्सिंग घोटाला

मंत्री विश्वास सारंग द्वारा प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के साथ मचाई जा रही इस लूट की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को थी। लेकिन उन्होंने हमेशा आंख में पट्टी बांधे रखी और चुपचाप पैसे खाते रह गये। सारंग पर कार्यवाही करने के बारे में विचार करना तो दूर मंत्री विश्वास सारंग से इस बारे में स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नाक के नीचे चल रहा भ्रष्टाचार का यह गोरखधंधा कब तक चलेगा इसका जबाव प्रदेश की जनता चाहती है।

हो पाते, जिससे समय लगता है। सूत्रों ने बताया सीबीआइ मुख्यालय जांच के लिए विशेष निरीक्षण दल (एसआइटी) भी बना सकती है।

शिकायत हाईकोर्ट में पहुंची- प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधी शिकायत पर यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। इसके बाद राज्य नर्सिंग काउंसिल ने डेढ़ दर्जन से ज्यादा कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी। वहीं, हाईकोर्ट ने सीबीआई को अक्टूबर 2022 में मामले की जांच सौंप दी। कॉलेजों की प्राथमिक जांच में अनियमितताएं सामने आई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 364 कॉलेजों की जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सात जांच दल बनाए। इनमें सीबीआई अधिकारियों के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेजों के नामित अधिकारी और पटवारियों को भी रखा गया। सीबीआई ने 169 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट सौंपी। अधिकतर कॉलेजों को योग्यता सूची में शामिल किया। 73 कॉलेजों में कमियां और 66 को अयोग्य बताया गया। लिस्ट के सामने आने के बाद उन कॉलेजों को उपयुक्त लिस्ट में शामिल कर लिया, जिनमें कमियां बताई गई थी।

ऐसे हुआ खुलासा- पात्र लिस्ट में

हाईकोर्ट ने सीबीआई को 364 कॉलेजों की जांच के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सात जांच दल बनाए। इनमें सीबीआई अधिकारियों के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेजों के नामित अधिकारी और पटवारियों को भी रखा गया। सीबीआई ने 169 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट सौंपी। अधिकतर कॉलेजों को योग्यता सूची में शामिल किया। 73 कॉलेजों में कमियां और 66 को अयोग्य बताया गया। लिस्ट के सामने आने के बाद उन कॉलेजों को उपयुक्त लिस्ट में शामिल कर लिया, जिनमें कमियां बताई गई थी।

हजारों छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह

शिक्षा माफिया और नौकरशाहों के गठजोड़ के चलते आज हजारों छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। मंत्री स्तर से संरक्षण प्राप्त विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव से लेकर आयुक्त/संचालक तकनीकी शिक्षा ने नर्सिंग डिग्री और डिप्लोमा जैसे कोर्स की विश्वसनीयता संदिग्ध बना दी। मध्य प्रदेश सहित बाहर के राज्यों के नौजवानों के एडमीशन कागजी खानापूर्ति के लिये खुली छूट दे दी। बिना नर्सिंग कॉलेज में पढ़े डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त ये हजारों छात्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर जनता से द्रोह किया गया है।

बिना इंफ्रास्ट्रक्चर व फेकल्टी वाले कॉलेजों के नाम जब शामिल हो गए तब अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत सीबीआई को मिली। चार अधिकारियों समेत 23 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए। सीबीआई के दो इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश पुलिस के हैं। वहीं, सीबीआई के एक अधिकारी राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है। बाकी आरोपी 29 मई तक पुलिस रिमांड पर है।

सीबीआई अधिकारी को रिश्वत के रूप में दो से 10 लाख रूपये देना तय किया था। नर्सिंग स्टाफ को 25 से 50 हजार रूपये और पटवारी को 05 से 20 हजार रूपये मिलते थे।

गिरोह बनाकर कर रहे थे काम- सीबीआई के अधिकारियों को पकड़ने के बाद भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। सीबीआई के अधिकारियों ने दलालों के साथ मिलकर पैसों के बदले कॉलेजों को पात्र रिपोर्ट दी। सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज, सुशील कुमार मोजोका और ऋषिकांत असाठे को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। डिप्टी

नर्सिंग घोटाले के बाद अब बीएड-डीएड फर्जीवाड़ा

मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा जैसा एक और मामला सामने आया है। अब बीएड-डीएड कोर्स संचालित कर रहे आधा दर्जन कॉलेज संचालकों ने कागजों में खेतों पर बिल्डिंग दिखाकर मान्यता ले ली। जब शिकायत के बाद एसटीएफ ने जांच की तो मामला का खुलासा हो गया। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के 06 कॉलेजों की जांच में पता चला है कि मान्यता के लिए इन कॉलेजों के संचालकों ने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया है। जांच में सामने आया की संचालकों ने जहां कॉलेज होना बताया, उस भूमि पर खेत हैं। कहीं कोई बिल्डिंग ही नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायत से भवन बनाने की अनुमति भी फर्जी तरीके से ली गई। यहां तक कि सरपंच के हस्ताक्षर तक फर्जी किए गए हैं। इसी के साथ बैंक की फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट (एफडीआर) भी फर्जी तरीके से बना ली। इस मामले में एसटीएफ, एससीटीई और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के कर्मचारियों की भूमिका की जांच भी कर रही है। जानकारी है कि इन कॉलेजों को मान्यता देने में यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है।

एसपी आशीष प्रसाद को आरोपी बनाया है। सीबीआई के अधिकारियों के लिए दलाल कॉलेज संचालकों से संपर्क करते थे। फिर उन्हें पात्र लिस्ट में शामिल कराने के लिए पैसा तय होता था।

रिश्वत की राशि भी तय थी- सीबीआई की एफआईआर में कई दलालों के नाम लिखे हैं। सीबीआई अधिकारी को रिश्वत के रूप में दो से 10 लाख रूपये देना तय किया था। नर्सिंग स्टाफ को 25 से 50 हजार रूपये और पटवारी को 05 से 20 हजार रूपये मिलते थे। सीबीआई का एक अधिकारी रिश्वत की राशि जयपुर में अपने दोस्त को भिजवाता था। रिश्वत की राशि लेने से अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग लोग शामिल थे।

नर्सिंग कॉलेज के नए नियम में क्षेत्रफल कम कर दिया- नर्सिंग कॉलेज के नियमों में फेरबदल किए गए। क्षेत्रफल 23 हजार वर्ग फुट चाहिए था, लेकिन नए नियमों में इसे घटाकर 8 हजार वर्ग फुट कर

मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के माननीय न्यायधीश श्री रोहित आर्य ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी है या जोकर है। किस लॉ में लिखा है कि जिस बच्चे का नामांकन न हो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ये स्कैम है। ये फ्रॉड है। पूरे प्रदेश में तमाशा बना रखा है। न बच्चों का पता है, न कॉलेज का पता है। नर्सिंग काउंसिल को संबद्ध नहीं किया है। नाम कॉलेज में नहीं है।

दिया। फैकल्टी में 10 छात्रों पर एक शिक्षक के अनुपात को बदलकर 20 पर एक कर दिया गया। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों को भी उपयुक्त लिस्ट में डाल दिया गया। कई जगह कॉलेज में शिक्षक नहीं होने के बावजूद सर्टिफिकेट बांटे जाते रहे।

एक लाख बच्चे प्रभावित- प्रदेश में अभी 2020-21 सत्र के नर्सिंग की छात्रों की परीक्षा चल रही है। 2021-22, 2022-23 की परीक्षा का समय अभी निर्धारित ही नहीं है। 2023-24 के लिए कॉलेजों की मान्यता नहीं हुआ है। वहीं, एनएसयूआई के प्रदेश समन्यक रवि परमार का कहना है कि नर्सिंग घोटाले की वजह से छात्रों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिन छात्र-छात्राओं की अभी परीक्षा रूकी हुई। उस पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। इससे एक लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हैं।

आजकल मध्यप्रदेश सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग बन चुका है। पहले व्यापमं, उसके बाद नंबर 2 नर्सिंग और नंबर 3 अब पैरामेडिकल है। हम लोगों ने पैरामेडिकल काउंसिल बना दी थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को नर्सिंग काउंसिल बनाने के अधिकार दे दिए। उनका मनोनयन भी सरकार ने किस तरह किया यह बात मैं नहीं जानता। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने 300 फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी थी।

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सारंग-शिवराज ने बांध रखी थी आंखो में पट्टी

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मीडिया से चर्चा की और 30 मई को पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र सार्वजनिक कर दिया। जिसमें नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को जांच के दायरे में लेने की मांग की है। उन्होंने कहा- फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई की एसआईटी बनाकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा- आजकल मध्यप्रदेश सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग बन चुका है। पहले व्यापमं,

उसके बाद नंबर 2 नर्सिंग और नंबर 3 अब पैरामेडिकल है। हम लोगों ने पैरामेडिकल काउंसिल बना दी थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को नर्सिंग काउंसिल बनाने के अधिकार दे दिए। उनका मनोनयन भी सरकार ने किस तरह किया यह बात मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा- जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने 300 फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी थी। जबकि नियम है कि बिल्डिंग 3000 स्क्वायर फिट होना चाहिए, 100 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए। जहां एमएससी नर्सिंग कोर्स है, वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होना चाहिए। उनके साथ-साथ शिक्षकों का मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन सब चीजों को ताक पर रखकर इन्होंने 300 नर्सिंग कॉलेज खोल दिए थे। जबकि यह नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे। उस समय एक काउंटर खुल गया था पैसा दो और नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी लो।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने 300 फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी थी। जबकि नियम है कि बिल्डिंग 3000 स्क्वायर फिट होना चाहिए, 100 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए। जहां एमएससी नर्सिंग कोर्स है, वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होना चाहिए। उनके साथ-साथ शिक्षकों का मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन सब चीजों को ताक पर रखकर इन्होंने 300 नर्सिंग कॉलेज खोल दिए थे। जबकि यह नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे। उस समय एक काउंटर खुल गया था पैसा दो और नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी लो।

मध्यप्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले का मामला प्रदेश से लेकर देश की सुर्खियों में बन गया है। मामले में रोजाना नए-नए राज खुलते जा रहे हैं। मामले में भ्रष्ट अधिकारी तो ठीक, सीबीआई के अफसरों पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। मामले को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। मामला अब पीएम मोदी तक पहुंच गया है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में सिंह ने शिवराज सिंह और विश्वास सारंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

अधर में लटका नर्सिंग स्टूडेंट्स का भविष्य

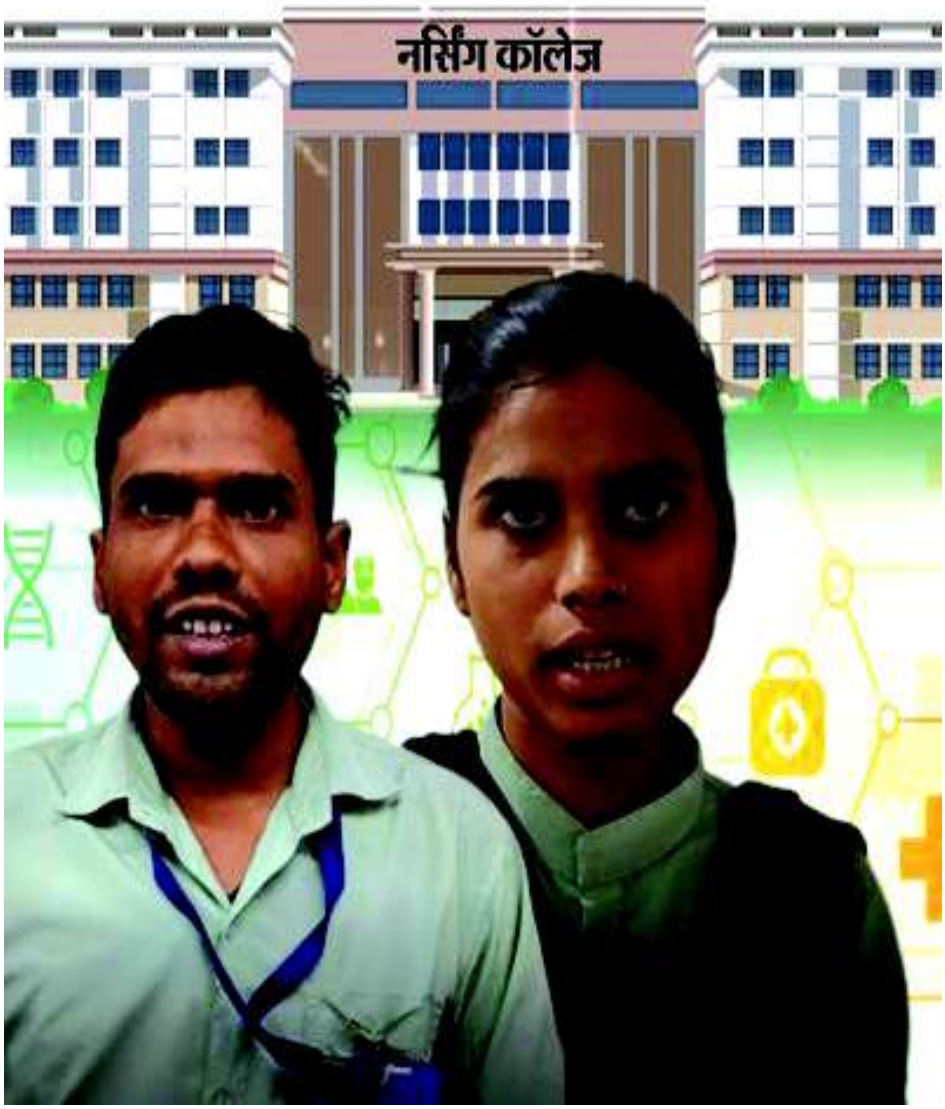

सीबीआई ने हाईकोर्ट को सौंपी है रिपोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को अपनी अंतिम स्थिति रिपोर्ट में, सीबीआई ने 169 नर्सिंग कॉलेजों की सूची प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी जांच में उनमें से अधिकांश को 'उपयुक्त' पाया, जबकि कुछ में 'मामूली कमियां' थीं। इसने 73 नर्सिंग कॉलेजों को 'अपूर्ण' और 66 को 'अनुपयुक्त' के रूप में पहचाना। कुछ सीबीआई अधिकारियों का मानना है कि किसी भी संदेह से बचने के लिए 'उपयुक्त' माने जाने वाले कॉलेजों की फिर से जांच की जानी चाहिए।

किसे पहुंचा कितना पैसा

वहीं, एफआईआर में कथित रिश्वत खोरी मामलों का विरण है, जिसमें यह भी शामिल है कि कितना पैसा कहां और कैसे पहुंचाया गया और बिचौलिए कौन थे। एफआईआर के अनुसार, 8 मई, 2024 को एक आरोपी की ओर से इंदौर के एक व्यवसायी को 15 लाख रूपये दिए गए। दो दिन बाद, कथित तौर पर उसे 16 लाख रूपए और दिए गए और इस पैसे में से कुछ का इस्तेमाल रतलाम में 400 ग्राम सोना खरीदने के लिए किया गया। एक अन्य कथित लेनदेन में बताया गया है कि कैसे 10 लाख रु पये इंदौर से भोपाल स्थानांतरित किए गए ताकि उन्हें सीबीआई इंस्पेक्टर को भेजा जा सके।

सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन

कारण और जिम्मेदार कौन?

भूपेश सरकार में उपेक्षित रहा है सतनामी समाज

विजया पाठक

सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिक, राजनीतिक रूप से इस समाज का योगदान सराहनीय है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। समाज की उपेक्षा से यह समुदाय अब शासन-प्रशासन से काफी नाराज है। खासकर भूपेश सरकार में तो यह समाज तिरस्कार और अपमान की जिंदगी जीने को मजबूर रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इस समाज के लिए एक चुनावी रैली में कुत्ता जैसी संज्ञा दी थी। उस समय मुख्यमंत्री के इस बयान की काफी भर्त्सना की गई थी और मुख्यमंत्री से मांफी तक मांगने की बात कही गई थी। वर्तमान में यह समाज प्रदेश में मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार से काफी अपेक्षाएं रख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वह अपने खोई हुए सम्मान को दोबारा प्राप्त कर सके। लेकिन पुराने वर्षों की कसक आज भी इस समाज के लोगों के बीच पनप रही है। जिसका नमूना हमने हाल ही में देखा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान सतनामी समाज के हजारों लोगों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई और पथराव किया। इस प्रदर्शन में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के

कार्यालयों तक को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही 200 से अधिक दोपहिया और 50 से अधिक चार पहिया गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हम आपको बता दें कि सतनामी संप्रदाय का इतिहास गुरु घासीदास से भी पुराना है जिसकी जड़ें कबीर तक भी पहुंचती हैं। दरअसल, सतनामी समाज अपने धार्मिक प्रतीक 'जैतखंभ' को तोड़े जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज ने बलौदा बाजार में यह उग्र प्रदर्शन किया था। सतनाम समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में है, जहां कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर परिसर में जमकर तांडव किया गया। वहीं, इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद

सतनामी संप्रदाय का इतिहास गुरु घासीदास से भी पुराना है जिसकी जड़ें कबीर तक भी पहुंचती हैं। दरअसल, सतनामी समाज अपने धार्मिक प्रतीक जैतखंभ को तोड़े जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज ने बलौदा बाजार में यह उग्र प्रदर्शन किया था।

भी सतनाम समाज के लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वे सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि बलौदा बाजार के गिरोदपुरी के महकौनी गांव में स्थित संत अमर दास की तपोभूमि के पवित्र प्रतीक जैतखाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस घटना को लेकर सतनामी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे थे।

सतनामी समाज छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति का 98 प्रतिशत है। सतनामी समाज के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी की तपोभूमि गिरोधपुरी है। सतनामी समाज के लोग हर गांव में किसी चबूतरे या प्रमुख जगह पर खंबे में सफेद झंडा लगाते हैं। जैतखाम मूल रूप से झंडे का नाम है और इसे समाज का प्रतीक माना जाता है। सबसे बड़ा जैतखाम गिरोधपुरी में है जिसकी उंचाई करीब 77 मीटर है। सर्वविदित है कि सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के दलितों में सबसे ज्यादा संख्या वाला समाज है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के जितने भी

जब भूपेश बघेल ने कहा था
जो शाम होते ही भौंकते हैं, उससे हम डरने वाले नहीं

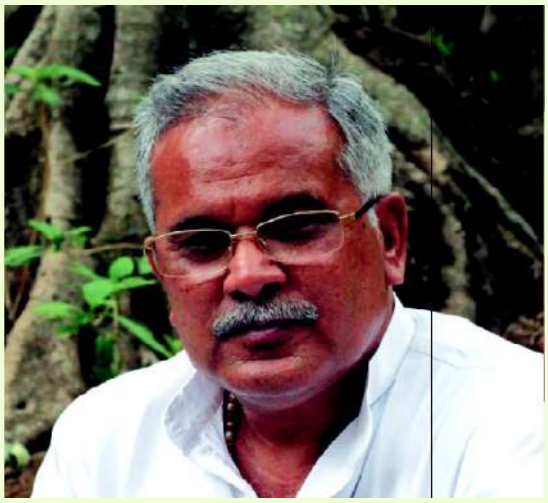

भूपेश बघेल ने बाबा गुरु घासीदास और सतनामी समाज का अपमान किया है। दरअसल भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्वकाल में आरक्षण को लेकर समाज के युवा बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान सतनामी समाज के युवकों ने बैनर-पोस्टर लहराकर आरक्षण मामले पर विरोध कर मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाए तो इसके लिए ये युवा नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति वर्ग के साथ विश्वासघात करने वाले भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं। इस पर भी मुख्यमंत्री ने पद की मर्यादा को तिलांजलि देते हुए यह तक कह दिया कि शाम होते ही कौन भौंकते हैं, उनसे हम डरने वाले नहीं। कांग्रेस बताये कि वह सतनामी समाज को क्या मानती है? सतनामी समाज के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने से यह समाज काफी आहत था। शायद इसका नतीजा रहा होगा कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को नुकसान हुआ।

लोग हैं, उनमें से लगभग 90 फीसदी सतनामी समाज के लोग हैं। सतनामी समाज का जातिवादी समाज से संघर्ष गांव, शहरों, कस्बों में लगातार होता रहता है। आज भी यह समाज उंच-नीच का शिकार होता रहता है। जाहिर तौर पर यह पहली घटना नहीं है जब दलित समाज के महापुरूषों, गुरूओं का इस तरह से अपमान हुआ है। भारत में दलित समाज के महापुरुषों को अपमान करने की एक लंबी फेहरिस्त है। संविधान निर्माता डॉ. आंबेडकर की मूर्ति को

इनका कहना है-

छत्तीसगढ़ में कुतुबमीनार से भी ऊंचा जैतखाम बीजेपी ने बनाया - किरण सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि भाजपा को सतनामी समाज का विरोधी बताने वाले कांग्रेसियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि कुतुबमीनार से भी उंचा जैतखाम छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने ही बनाया था। सतनामी समाज के साथ तो खुद कांग्रेस ने हमेशा भेदभाव कर सतनामी समाज के सदस्यों को उनके हक से वंचित रखने का काम किया है। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जिस तरह का गंदा राजनीतिक आचरण प्रस्तुत किया, क्या कांग्रेस नेताओं को कभी उसके लिए जरा भी शर्म महसूस हुई ?

नहीं संभाल पाये स्थिति को, हटाये गये कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक

बालौदा बाजार जिले के कलेक्टर और एसपी को पद से हटाने के बाद अब दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने बलौदा बाजार के तत्कालीन कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानंद कुमार पर एक्शन लिया है। बता दें कि दोनों को उनके पद से हटाकर दीपक सोनी को नया कलेक्टर और विजय अग्रवाल को नया एसपी बनाया गया है। यह दोनों अधिकारी भूपेश सरकार के समय से जिले में पदस्थ थे। बताया गया है कि दोनों ही अधिकारी हिंसा और प्रदर्शन को रोकने में नाकामयाब रहे हैं। निश्चित ही नई सरकार के गठन के साथ ही उच्च अधिकारियों का तबादला होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं सभी सरकारें करती हैं। बालौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी को हटाकर सरकार ने अच्छा काम किया है। बालौदा बाजार में जो कुछ भी हुआ उसके लिए इन दोनों अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्योंकि स्थिति को संभालने का जिम्मा इनके कंधो पर ही था।

तोड़ देना, गुरु रविदास के मंदिर को क्षति पहुंचाना, कांशीराम की तस्वीर का अपमान करना, भारत में बेहद आम है।

हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वर से कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शांति एवं सद्भावना बनाये रखने के लिए किए जा रहे कार्यों में समाज की पूर्णतः सहभागिता है

सतनामी समाज का उग्र प्रदर्शन

और आगे भी रहेगी। उनके द्वारा बताया गया कि सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास का अनुयायी है और यह सदैव से एक शांतिप्रिय समाज रहा है। सतनामी समाज इस घटना की कड़ी निंदा करता है। घटना को असमाजिक तत्वों द्वारा अंजाम दिया गया है। समाज मे इस घटना को लेकर गहरा दुख है। हम चाहते हैं कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए।

क्या है जैतखाम ?

जैतखाम के बारे में बताया जाता है कि यह सतनामी पंथ के ध्वज का नाम है। सतनामी समाज के भीतर जैतखाम की मान्यता बहुत होती है। सतनामी समाज इन्हीं जैतखाम को काटे जाने को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जैतखाम दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जैत और खाम शब्द हैं। इसका अर्थ जैत यानी जय और खाम यानी खंभा होता है। जैतखाम शब्द ज्यादातर छत्तीसगढ़ की बोली में बोला जाने वाला शब्द है। मान्यता है कि जैतखाम मूलरूप से सतनामी पंथ के ध्वज का नाम है। यही ध्वज सतनामी संप्रदाय का प्रतीक माना जाता है। सतनाम समाज के लोग इस ध्वज को पूजते हैं, वहीं इसे किसी चबूतरे या प्रमुख स्थल पर खंभे में सफेद झंडा लगाकर पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समाज का सबसे बड़ा जैतखाम छत्तीसगढ़ के गिरौधपुरी में है। इसी के साथ तोड़फोड़ की गई थी। सतनामी समाज के लिए यह जैतखाम संप्रदाय का प्रतीक माना जाता है। सतनामी समुदाय का सबसे बड़ा जैतखाम छत्तीसगढ़ के गिरौधपुरी में है। इसकी उंचाई करीब 77 मीटर के आसपास बताई जा रही है। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इसमें तोड़फोड़ की गई थी जिसके बाद सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे।

सतनामी समाज का महत्व

छत्तीसगढ़ की लगभग 2.94 करोड़ की

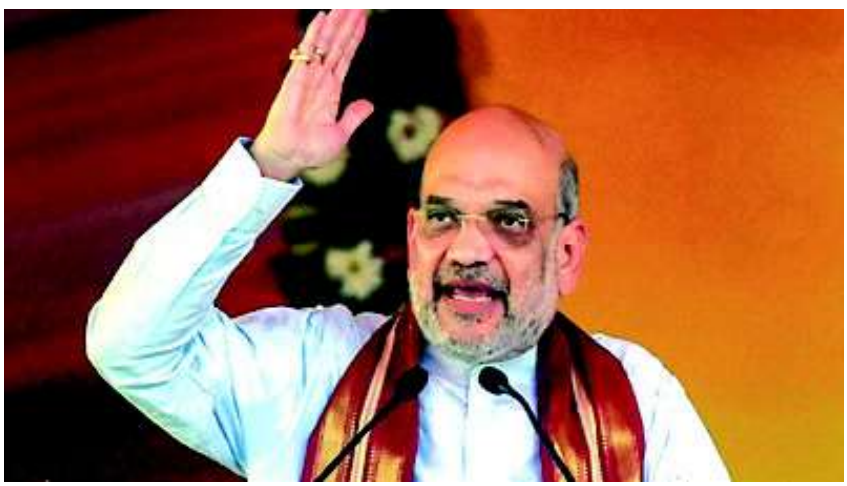

जनसंख्या में से 25 लाख लोग सतनामी समाज से आते हैं, जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और गुरु घासीदास को अपना प्रवर्तक मानते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सतनामी समाज की आबादी अच्छी-खासी है। कुल वोटों में इस समाज की करीब 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। सतनामी समाज को सतनामपंथ, सतनामी विद्रोह या साधनपंथ भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने कहीं-कहीं उन्हें मुंडिया और बैरागी भी लिखा है, क्योंकि अक्सर अनुयायी अपना सिर मुंडवा लेते थे। ये संप्रदाय असल में रविदसिया संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है।

प्रदेश की 14 विधानसभा सीटों पर 20 से 35 प्रतिशत वोट सतनामी समाज के हैं। इसी वजह से 2017 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी सतनामी समाज को साथ लेने की कोशिश की थी और सतनामी गुरु बालदास से मुलाकात भी की थी। सतनामी समाज को सतनामपंथ, सतनामी विद्रोह या साधनपंथ भी कहा जाता है! राज्य में इनकी आबादी करीब 25 लाख है! ये संप्रदाय असल में रविदसिया संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है! मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छत्तीसगढ़ के 98 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग इसी संप्रदाय में हैं! सतनाम समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में है। बलौदा बाजार की हिंसक घटना गिरौदपुरी से ही जुड़ी हुई है। सतनामी समाज मूर्ति पूजा नहीं करता और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। वे शांति और भक्ति में विश्वास रखते हैं और गुरु घासीदास के संदेश को फैलाने का काम करते हैं।

गुरु घासीदासः शांति और प्रेम के संदेशवाहक

गुरु घासीदास सतनामी समाज के महान संत थे। उन्होंने समाज में प्रेम और शांति का संदेश फैलाया। गुरु घासीदास ने अमर गुफा में तपस्या की थी और सतनामी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।

तीन गुणों पर करते हैं फोकस

सतनामी संप्रदाय की आधिकारिक स्थापना 21 अप्रैल, 1657 को की गई थी। इसी दिन नारनौल जिले के बीर भान ने इस संप्रदाय की स्थापना की। इस समाज के गुरु उधोदास थे, जो संत रविदास के शिष्य थे। जब इस समाज की स्थापना तब हुई जब अधिकतर किसानों, दस्तकारों और पिछड़ी जाति के लोग इसमें जुड़े। इस सम्प्रदाय के लोग तीन गुणों पर जोर देते हैं। एक सतनामी भक्त की वेशभूषा धारण करता है। उचित तरीकों से पैसा कमाना और किसी भी तरह का अन्याय या अत्याचार सहन नहीं करना।

छह पैमानों को अपनाकर भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कर सकेगा प्राप्त

विजया पाठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य तय किया है, वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होने के साथ-साथ बड़ा मौका भी है। इस काम में हमें कितनी सफलता मिलेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा वित्तीय क्षेत्र कितने असरदार तरीके से काम करता है। जलवायु परिवर्तन पर हुई बैठक (कॅप 26) में भारत ने साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। अगर भारत को ये लक्ष्य हासिल करना है कि उर्जा, उद्योग और परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों में अभी इस्तेमाल हो रही तकनीकी को छोड़कर कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को चुनना होगा जिससे तेज़ी से आर्थिक विकास भी हो साथ ही कारोबार और आम जीवन में इसका कम से कम नकारात्मक असर भी दिखे।

वैसे अगर हकीकत में देखें तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प अगले 50 साल में भारत के लिए आधारभूत ढांचे के विकास और रोजगार पैदा करने का बड़ा अवसर बन सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 2070 तक ये लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को सौर और वायु उर्जा के उत्पादन में 70 गुना की वृद्धि कर इसे 7,700 गीगावाट तक ले जाना होगा। इसके साथ ही हमें बुनियादी ढांचे को इतना विकसित करना होगा कि वो सालाना 114 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को संभाल सके। एक अनुमान के मुताबिक इन सब चीजों के विकास और उर्जा, उद्योग और परिवहन के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल में 10.1 ट्रिलियनउ डॉलर का खर्च आने का अनुमान है। अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर जुटाने के संसाधन तो हमारे पास हैं लेकिन 3.5 ट्रिलियन डॉलर की फिर भी कमी होगी। ऐसे में आने वाले दशकों में भारत का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इतने बड़े पैमाने पर

पूंजी कैसे जुटाते हैं और कितनी सफलता से मानवीय संसाधन को इस बदलाव के लिए तैयार कर पाते हैं। पैसे का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अगले 50 साल तक हमें हर साल करीब 200 अरब डॉलर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुटाने होंगे। यहां हम 06 ऐसे कदमों की चर्चा करेंगे जो इस पूंजी को जुटाने में मदद कर सकते हैं। इस रकम का इंतजाम 3 चीजों पर निर्भर करेगा और ये 03 चीजें हैं पूंजी जुटाना, ऋण लेना, लोन के मूलधन और ब्याज की वसूली। इसे देकर यहां दिए जा रहे हर एक सुझाव वित्तीय संसाधन जुटाने की समस्या हल करने में मददगार होंगे।

पहला कदम- सबसे पहले हर क्षेत्र के लक्ष्य तय कर लेने चाहिए। अगर संभव हो तो 2070 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि वित्तीय मदद देने वालों को उस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता और संभावित जोखिमों की जानकारी मिलेगी। इससे होगा ये कि लोन देने वालों को ये हिसाब लगाने में आसानी होगी कि हरित उर्जा के लिए ज्यादा वित्तीय मदद दी जाए।

दूसरा कदम- इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी पूंजी भी उधार दी जाए। इससे लोन लेने में आने वाले ज़ोखिम तो कम होंगे ही साथ ही ब्याज दरें भी बेकाबू नहीं होंगी, खासकर उभरते बिजनेस मॉडल और नई तकनीकी पर काम कर रही कंपनियों को इससे मदद मिलेगी। उन कंपनियों को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा जो पेट्रोल-डीजल और कोयले वाले ईंधन से कम कार्बन उत्सर्जन ईंधन वाली तकनीकी पर जाने की सोच रही हैं।

तीसरा कदम- चीन की तरह भारत को भी बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं का फंड जुटाने के लिए बड़े बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। दुनिया के 5 सबसे बड़े बैंकों में से 4 बैंक चीन के हैं। अगर भारत में भी ऐसे बैंकों की स्थापना की जाती है तो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए पैसों का इंतजाम होगा और इनका बेहद तेज़ गति से विकास होगा।

चौथा कदम- इन परियोजनाओं में विदेशी बैंकों को भी शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे विदेशी पूंजी तो मिलेगी ही साथ ही देश में तेज़ विकास भी होगा लेकिन इसके लिए नीति-निर्मातओं और नियामक संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए जो भारत में बहुत कम दिखता है। इसी तालमेल की कमी की वजह से कई विदेशी बैंकों को भारत में अपना काम समेटना पड़ा और जो विदेशी बैंक बचे भी हैं, लोन देने के क्षेत्र में उनका असर बहुत कम है।

पांचवां कदम- प्रतिभूति बाज़ार (बॉन्ड मार्केट) और वित्त जुटाने के दूसरे उपकरणों को मजबूत करने से हरित विकास परियोजनाओं के लिए पैसे जुटाना आसान होगा। बैंकों की लोन देने की शर्तों को भी आसान बनाना चाहिए।

छठा कदम- सार्वजनिक पूंजी का इस्तेमाल करके विदेशी निवेशकों को भारतीय परियोजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिलहाल ज़्यादातर निवेशक ऐसा करने से बचते हैं क्योंकि इस तरह की परियोजनाओं में निवेश की लागत बहुत महंगी पड़ती है।

वी.आई.पी. कल्चर : क्या निर्वाचित राजतंत्र है?

रघु ठाकुर

हमारे देश में जो वीआईपी कल्चर चल रहा है उसका सबसे बड़ा शिकार आम आदमी होता है। इस वीआईपी कल्चर के सूत्र अगर अतीत में खोजे जायें तो वे राजतंत्र में मिलते हैं। अमूमन या कम से कम साल में एक बार या कभी यदा कदा किसी त्यौहार आदि के पर्व पर राजाओं की सवारी निकलती थी और सारी जनता उनके दर्शन करने को बाध्य होती थी। यही परंपरा नवाबी कालों में भी जारी रही और भारत जब ब्रिटिश उपनिवेश बना तो फिर इन शासकों का व्यवहार भारत में या अन्य उपनिवेशों में राजशाही जैसा ही रहा। ब्रिटेन में सम्राज्ञी तो महारानी थी, पर भारत में गर्वनर जनरल जैसे पदों पर बड़े नौकरशाह थे। उनकी भी राजाओं के समान सवारियां निकलती थी तथा सुरक्षा के नाम पर बहुत खर्च होता था। महात्मा गांधी ने तो ब्रिटिश वायसराय की सुरक्षा को लेकर उनसे सीधे प्रश्न किया था और बाद में उन्हें लिखा कि भारत जैसे गरीब देश का इतना पैसा अगर एक व्यक्ति की सुरक्षा पर खर्च होता है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे असुरक्षित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए, ताकि गरीबों का पैसा बच जाए। उस समय कुछ लोगों ने गांधी की इस प्रतिक्रिया पर विपरीत टिप्पणियां की थी और यह भी कहा था कि गांधी को इतनी कटु टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। कुछ लोगों ने महात्मा गांधी की अहिंसा पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया तथा इस टिप्पणी को गांधी की अहिंसा के खिलाफमाना, पर बापू ने न अपने कथन को

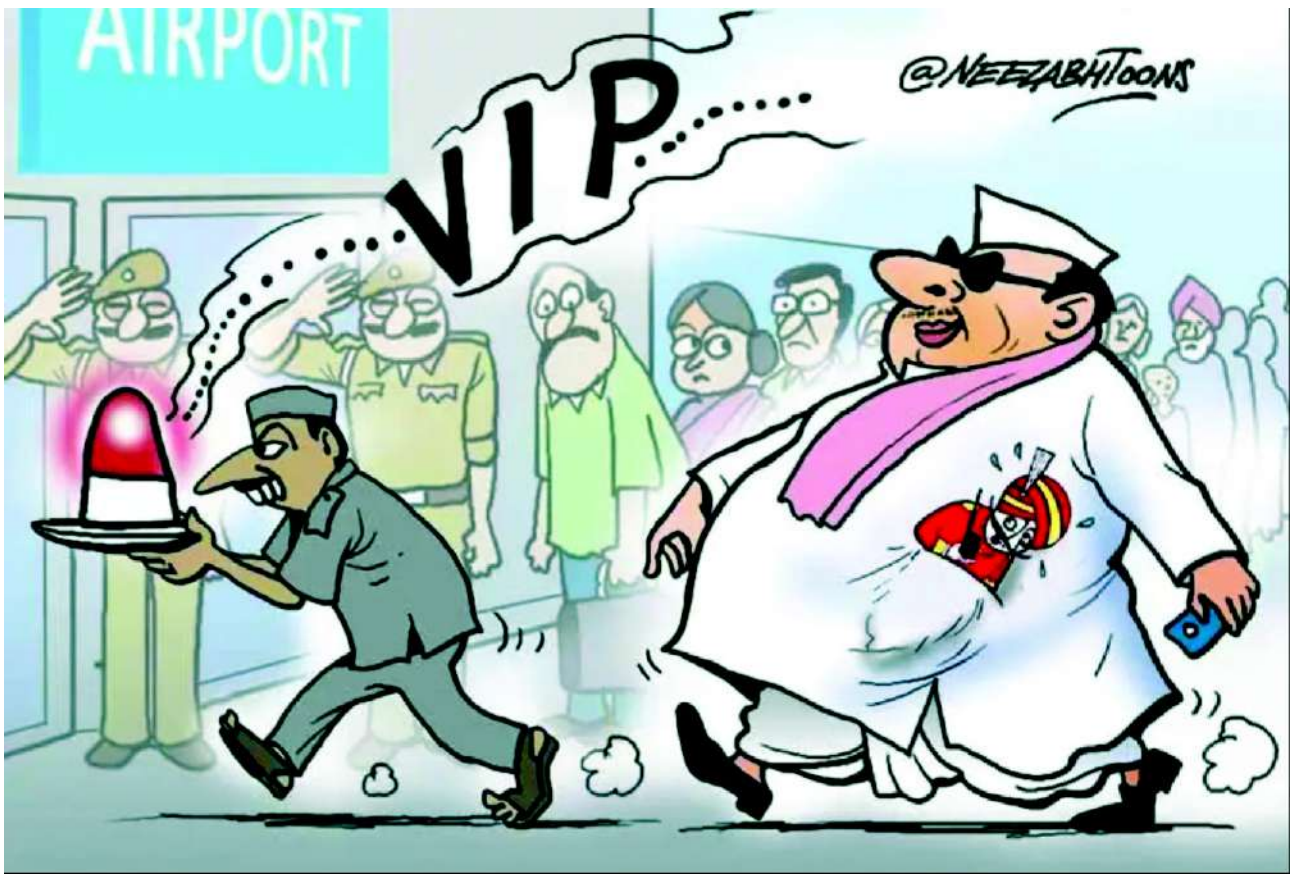

वापिस लिया न खेद व्यक्त किया और न विशेष सफाई दी। क्योंकि महात्मा गांधी की नजरों में सुरक्षा लेना ही अपने आप में अनैतिक व अनुचित था। उन्होंने खुद भी कभी सुरक्षा नहीं ली और यहां तक कि 5 बार हमले हो जाने के बाद भी, गंभीर जान के खतरे के बाद भी, उन्होंने सुरक्षा लेने से इंकार किया तथा अंततः हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। अपने सिद्धांतों के लिये अपने जीवन का बलिदान करना यह बापू का आदर्श था।

परंतु आजादी के बाद भारत के शासकों ने महात्मा गांधी की शहादत के इस सिद्धांत को भुला दिया और लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने हुये शासकों ने राजतंत्रीय मानस में अपने आपको बदल लिया। सुरक्षा के नाम पर अब स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि केंद्र से लेकर जिला स्तर और यहां तक कि जनपद पंचायत अध्यक्ष तक अपने साथ एक दो सुरक्षा प्रहरी लेकर चलते हैं। जिसका खर्च सरकार उठाती है और एक अर्थ में अंततः जनता को इसका बोझ सहना पड़ता है। ये सम्मानीय सुरक्षाकर्मी पाने के लिये निवेदन से लेकर झगड़ा तक करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे जनता ने इन प्रतिनिधियों को चुनकर कोई अपराध किया है क्योंकि कहने को तो यह जनप्रतिनिधि होते हैं और सेवा के लिये चुने जाते हैं, परंतु इन्हें वेतन भत्ते के साथ पेंशन की भी दरकार है और सुरक्षा भी चाहिए। आज छोटा हो या बड़ा, हर जनप्रतिनिधि आम जनता के उपर भारी बोझ बन गया है। जिस स्थान पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का दौरा होता है या गृहमंत्री या मुख्यमंत्री का दौरा होता है वहां पर दो-दो, तीन-तीन दिन पहले से जनजीवन बंदियों जैसा हो जाता है। दो-तीन दिन पूर्व से उनके कारकेड (कारों का काफिला), का परीक्षण होता है। जहां उनकी सभा होना है उसे, सुरक्षा जांच के नाम पर घेर लिया जाता है। बूटधारी पुलिस और सुरक्षा के विशेष प्रशिक्षित कुत्ते घरों में, रसोईयों में और यहां तक कि धार्मिक स्थलों में पूरा विचरण करते हैं और हर चीज सूँघते हैं। आगमन या कार्यक्रम के दिन सड़कें बंद कर दी जाती हैं और दिन-दिन भर के जाम लग जाते हैं। हजारों कर्मचारी, मजदूर, वाहन

आज छोटा हो या बड़ा, हर जनप्रतिनिधि आम जनता के उपर भारी बोझ बन गया है। जिस स्थान पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का दौरा होता है या गृहमंत्री या मुख्यमंत्री का दौरा होता है वहां पर दो-दो, तीन-तीन दिन पहले से जनजीवन बंदियों जैसा हो जाता है। दो-तीन दिन पूर्व से उनके कारकेड (कारों का काफिला), का परीक्षण होता है। जहां उनकी सभा होना है उसे, सुरक्षा जांच के नाम पर घेर लिया जाता है।

वाले लोग जाम में फँसे रहते हैं। कई बार तो गंभीर बीमार आमजन आवागमन रोक दिये जाने की वजह से मौत के शिकार हो जाते हैं। ऐसी कितनी घटनायें मेरी भी जानकारी में हैं और आप सबकी जानकारी में भी होगी। क्या यह लोकतंत्र है? या राजतंत्र की ही फूहड़ प्रति है।

विशिष्ट होने का मतलब अब ऐसा अपराधी मानस जैसा व्यक्ति हो गया है जो अत्याधिक भयभीत है, घिरा हुआ है और अपनी जान की सुरक्षा के नाम पर आम समाज को असुरक्षित बनाता है। अपने भविष्य को ध्यान में रखकर हर पद वाला कुछ विशेष सुविधाओं को ले रहा है और इसके लिये बाकायदा लोकतंत्र की संस्था लोकसभा या विधानसभाओं में कानून पारित किये गये हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य की राजधानी में बंगला, स्टाफ, सुरक्षा और रेल भाड़े के अलावा कार व पेट्रोल गाड़ी गरीब जनता की जेब से पैसे निकालकर दी जाती है। पूर्व सांसदों को आजीवन चिकित्सा व रेल के फ्री पास उन्हें परिवार के साथ मिलते हैं। पूर्व विधायकों को पास के स्थान पर नगद वाले कूपन दिये जाते हैं और वे भी कितने ही लोगों को लेकर यात्रा कर सकते हैं। रेलमंत्री जब पूर्व हो जाता है तो उसे एक गोल्डन सिक्के जैसा टोकन दिया जाता है, जिसे दिखाकर वह एसी, (प्रथम श्रेणी) में यात्रा कर सकता है। पूर्व सांसद व विधायकों को पेंशन की व्यवस्था है और नौकरशाही तथा न्यायपालिका के माननीय न्यायाधीशों को भी अपने कार्यकाल के बाद अनेक सुविधाओं का लाभ मिलता है।

सड़कों पर यातायात जाम होना अब केवल नये राजाओं के द्वारा ही नहीं होता है। बल्कि पिछले कुछ दिनों से धर्म के नाम पर जो बेरोकटोक जुलूस-जलसे होने लगे हैं, धार्मिक आयोजनों के नाम पर सरकारों व तंत्र की मूक सहमति के द्वारा जो धर्म सभाएं होती है शायद ही कोई शहर बचा हो जहाँ साल के 365 दिनों में से 50-60 दिन कोई न कोई सड़कें बंद न रहती हों। बीच सड़कों पर जो धार्मिक स्थल दशकों पहले बना दिये गये थे अभी भी यथावत हैं। और कितनी ही कठिनाई यातायात की क्यों न हो, पर सड़कों पर से धार्मिक स्थलों को हटाना अब सरकारों का उद्देश्य नहीं है और न उनमें यह साहस है। भारत के उच्चतम न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालयों ने कई बार निर्णय दिये, सड़कों पर से धार्मिक स्थलों को हटाने को कहा, पर जब मतदाता ही धर्मांध है तो सत्ता पिपासु अपनी कुर्सी को जोखिम में क्यों डाले? देश की राजधानी के नई दिल्ली स्टेशन पर आज आजादी के लगभग 77 वर्ष के बाद भी बीच रेल लाइनों में धार्मिक स्थल बने हुये हैं और कोई भी सरकार चाहे वह तथाकथित धर्म निरपेक्ष हो या गैर धर्म निरपेक्ष उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं करती। गाड़ियों की गति, धीमी होती है, आने जाने में विलंब होता है पर धार्मिक

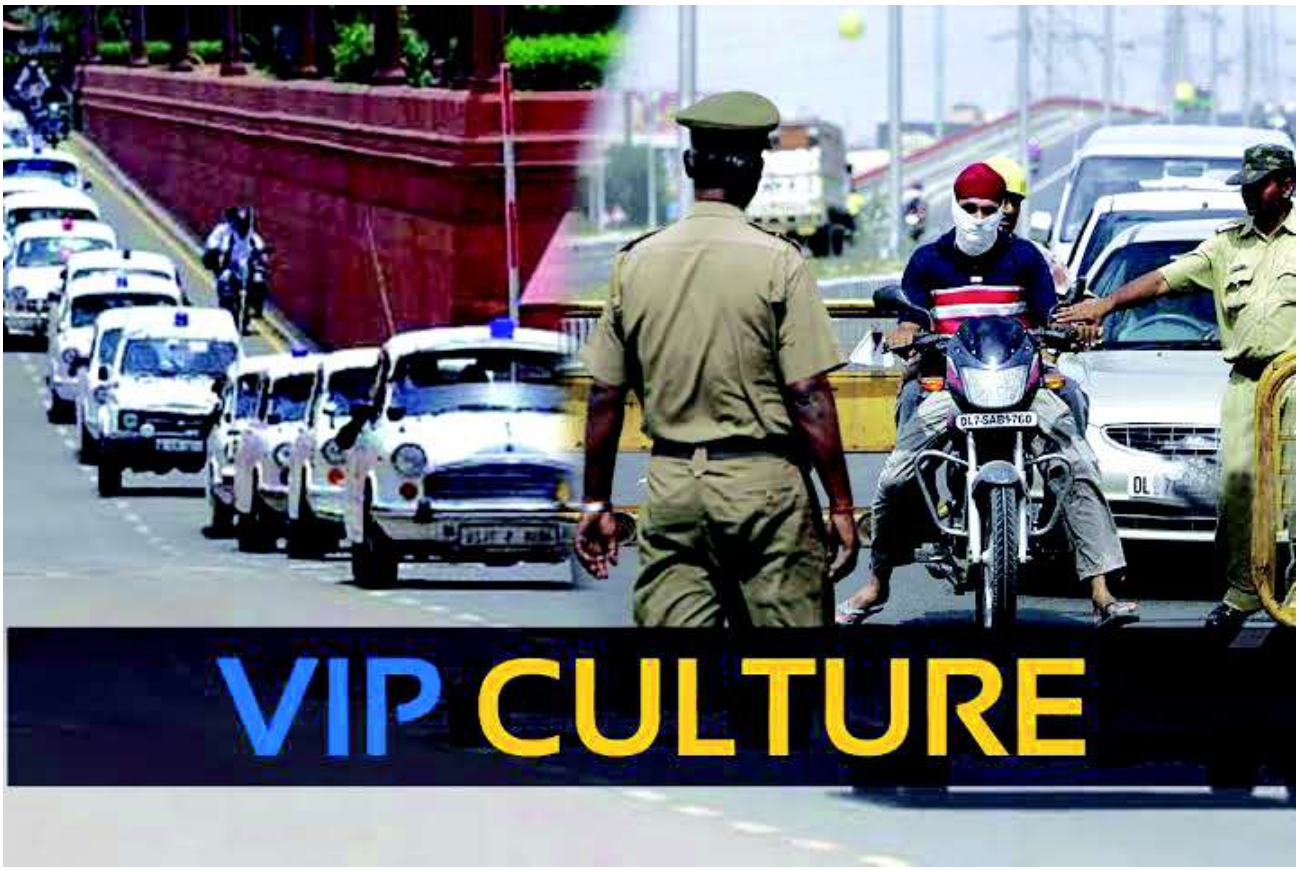

स्थल यथावत हैं।

इस जाम के लगने से कितना पेट्रोल, डीजल व्यर्थ खर्च होता है, धुएं से कितना प्रदूषण फैलता है, इसकी चिंता मतदाता, सत्ता जनप्रतिनिधि और न्यायपालिका को भी नहीं है। सभी ने अपने-अपने धड़े की सुरक्षा के लिये उपाय कर लिये हैं। शीर्ष के सत्ताधीशों के निकलने पर रूट लगाया जाता है और विशेष पुलिस फोर्स लगाकर इन वीआईपी नाम के बड़ी लागत खर्च के सज्जनों को निकाल दिया जाता है। अब तो उसके लिये हेलिकाप्टर का चलन भी बढ़ रहा है और इन विशिष्ट व अतिविशिष्ट महानुभावों के लिये सड़कों पर चलने की आवश्यकता ही नहीं है। धनपति, सत्तापति, तंत्रपति और न्यायपति, इन्होंने अपने-अपने सुरक्षा और जाम से बचाव के लिये नियम बना लिये है। आमजन से कोई मतलब नहीं। भले ही संविधान में समानता का सिद्धांत हो, संविधान राज्य के व्यक्ति व्यक्ति में फर्क न करे, परंतु संविधान के रक्षक ही रोज संविधान भक्षक का काम करते हैं।

आमजन से कोई मतलब नहीं। भले ही संविधान में समानता का सिद्धांत हो, संविधान राज्य के व्यक्ति-व्यक्ति में फर्क न करे, परंतु संविधान के रक्षक ही रोज संविधान भक्षक का काम करते हैं।

नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा का कार्यालय है और वहां आये दिन सरकारी परिभाषा के विशिष्ट व अतिविशिष्ट जनों का आना-जाना होता है। आसपास के कई किलोमीटर की गाड़ियां हटा दी जाती हैं या पुलिस उठा लेती है। लोगों का निकलना बंद कर दिया जाता है जबकि दीनदयाल मार्ग, रणजीत सिंह मार्ग आदि से ही दिल्ली के बड़े अस्पतालों, जी.वी. पंत, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लोकनायक जेपी हास्पिटल के आने-जाने का रास्ता है परंतु मरीजों के वाहन रोक दिये जाते हैं। गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। इस मुल्क में केवल वीआईपी की जान की चिंता है इतना ही नहीं उसी के पास में राउज एवेन्यू कोर्ट बनाई गई है। जहां एम.पी. एम.एल.ए

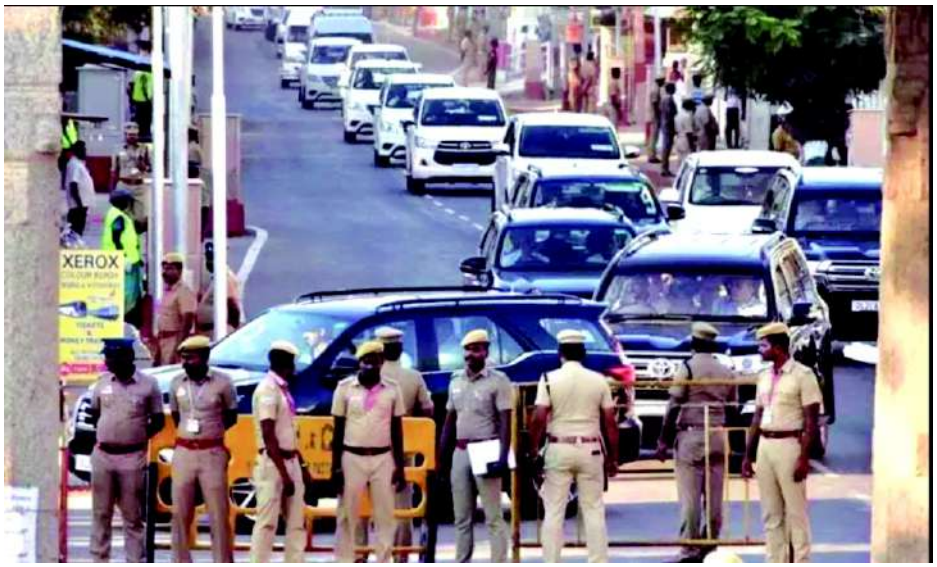

के न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई होती है और आजकल की चर्चित ईडी कोर्ट भी वही है। ईडी कोर्ट में पिछले कुछ दिनों से बड़े पदों पर बैठे लोग पेशियों पर सुनवाई के लिये लाये जाते हैं और कुछ उनकी सुरक्षा के नाम पर तथा कुछ उनके समर्थकों के उपद्रवों के कारण सारा इलाका आये दिन घेर लिया जाता है, इससे आसपास के निवासियों का जीवन प्रतिबंधित और नारकीय जैसा हो जाता है।

जहां एक तरफ संविधान और कानून का पालन न करना सत्ता का चलन बन गया है वहीं दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के नेता भी प्रथक कोई आचरण प्रस्तुत करने की जगह उसी की ही नकल करते हैं और सत्ता पक्ष जैसी गैर कानूनी सुविधाओं और प्रशासन के मूक समर्थन की अपेक्षा करते हैं। अगर कभी प्रशासन रोकने का प्रयास करे तो वह सत्ता के नेताओं का उदाहरण देकर यह कहने का प्रयास करते हैं कि जब उन्हें अपराध करने की छूट है तो हमें क्यों नहीं? वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव के लिये जब नामांकन शुरू हुये तो भाजपा के भोपाल लोकसभा के प्रत्याशी का जुलूस बुधवारा स्थित चर्चित कर्फ्यू मंदिर से शुरू हुआ, वह स्थान बीच बाजार में है। इस जुलूस में मुख्यमंत्री, स्थानीय मंत्री व काफी संख्या में लोग शामिल हुए। स्वभाविक कि जब मुख्यमंत्री स्वयं नियम तोड़ने में अगुआ हैं तो प्रशासन क्या करें। हालांकि प्रशासन सोचे तो वह संवैधानिक रू प से एक संविधानिक ईकाई है, जिसकी प्रतिबद्धता संविधान व कानून के प्रति होती है न कि सत्ता या मंत्रियों के प्रति।

ब्रिटेन में कितने ही प्रधानमंत्रियों या उनके बेटों की कारें प्रतिबंधित स्थानों पर खड़ी करने की वजह से उन पर कार्यवाही की गई, जुर्माना किया गया और उन्होंने सहर्ष इस कार्यवाही को स्वीकार कर दंड को भी स्वीकार किया। जब श्रीमती किरण बेदी दिल्ली पुलिस में यातायात की अधिकारी थीं तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के काफिले की सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर कार्यवाही की थी और श्रीमति इंदिरा गांधी ने इसको लेकर न उन्हें प्रताड़ित किया और न उस घटना को अपने सम्मान से जोड़ा। भोपाल में जब सत्ता पक्ष के सांसद के नामांकन का जुलूस बीच बाजार से निकला और पूरा का पूरा यातायात, बाजार का मार्ग जाम में फंसा तो फिर प्रतिपक्ष भी कैसे पीछे रहता और उसके अगले दिन उसी प्रतिबंधित मार्ग से कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन का जुलूस निकला। दो दिन लगातार शहर जाम में फंसा रहा। कुछ प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से इसे छापा भी परंतु इस राजनैतिक व प्रशासनिक अपराध के लिये किसी को कोई चिंता नहीं हुई। न सरकार के कान पर जूं रेंगी और न प्रतिपक्ष के। और यहां तक की बाजार के व्यापारी, ग्राहक, सड़क पर चलने वाले लोग, बच्चों की स्कूल गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहीं पर किसी को कोई चिंता नहीं। जबकि चुनाव आयोग के स्पष्ट नियम हैं कि नामांकन में सीमित लोग ही जायेंगे और कोई जुलूस, जलसा रैली इत्यादि नहीं होंगे, परंतु चुनाव आयोग के मातहत चुनावकर्मी अंततः राज्य व केंद्र के कर्मचारी ही हैं और जिन्हें चुनाव के बाद इन्हीं प्रतिनिधि की सेवा करनी है। अगर कोई बेहतर परंपरा बनाना हो तो उसकी शुरूआत स्वतः राजनैतिक नेतृत्व को करना चाहिए। और वह तभी होगा जब जनमत राजनैतिक नेतृत्व या राज्य सत्ता के खिलाफ इन बातों को लेकर आक्रोश व्यक्त करना शुरूकरेगा। पर अभी तो स्थिति यह है कि जनमत न केवल स्वेच्छा से धक्के खाने को तैयार है बल्कि उन्हीं नेताओं को नेता मानती है जिनके साथ काली पीली सुरक्षा वाले, बड़ी संख्या में प्रहरी हो जो मेजबान को भी धक्के मारे और उस पर भी मेजबान गर्व करें।

क्या देश की जनता कभी इन बातों पर विचार करेगी? कभी अपने मतदान की कसौटी, जात व धर्म से हटकर शराब या पैसे से बचकर, इन मुददों को मतदान का आधार बनायेगी। कई बार इन स्थितियों को देखकर लगता है कि अब तो यह मांग करना चाहिये कि भारत को लोकतंत्र की बजाय निर्वाचित राजतंत्र कहा जाये और संविधान के प्रावधानों में भी निर्वाचित लोकतंत्र की बजाय निर्वाचित राजतंत्र लिखा जाये।

जलवायु अनुरूप नगरों की जरूरत

प्रमोद भार्गव

श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार तेज गर्मी या प्रलय आने पर सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से पृथ्वी, प्राणी के शरीर, समुद्र और जल के अन्य स्रोतों से रस यानी नमी खींचकर सोख लेता है। नतीजतन उम्मीद से ज्यादा तापमान बढ़ता है, जो गर्म हवाएं चलने का कारण बनता है। यही हवाएं लू कहलाती हैं। परंतु अब यही हवाएं देश के पचास से ज्यादा शहरों को उष्मा-द्वीप (हीट आइलैंड) में बदल रही हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश में पारा 43 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 48 डिग्री और हिमालय की शीतल घाटी कश्मीर में गरम हवाओं के चलते तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिन यही तापमान बने रहने की घोषणा कर दी है। आमतौर से गरम हवाएं तीन से आठ तीन चलती हैं और एक-दो दिन में बारिश हो जाने से तीन-चार दिन राहत रहती थी, लेकिन इस बार गरम हवाएं चलने की निरंतरता बनी हुई है। जिसने कई शहरों को उष्मा-द्वीप में बदलकर रहने लायक नहीं रहने दिया है। इसके प्रमुख कारणों में शहरीकरण का बढ़ना और हरियाली का क्षेत्र घटना माना जा रहा है।

ज्यादातर उष्मा-द्वीप घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में आमद दर्ज करा रहे हैं। ऐसे इलाकों में बाहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान का सामना करना पड़ता है। उंची इमारतें, सीसी की सड़कें, पैदलपथ और अन्य बुनियादी ढांचागत विकास इसके लिए दोषी है। यह विकास जल निकायों जैसे प्राकृतिक परिदृष्यों की तुलना में सूर्य की गर्मी को अधिक अवषोशित कर, फिर इस गर्मी का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे में हरियाली कम होने के कारण ये उच्च ताप वाले क्षेत्र उश्मा-द्वीप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में दिन का तापमान लगभग 1-7 डिग्री और रात्रि का तापमान लगभग 2-5 डिग्री तक बढ़ जाता है। इस तापमान के बढ़ने के कारणों में कारों और अन्य वाहनों का दिन-रात आग उगलते रहना भी माना जा रहा है। एसी और फ्रिज भी निरंतर कार्बनडाइ ऑक्साइड उगल रहे हैं। वैसे सामान्य स्थिति में द्वीप का अर्थ समुद्री या नदी-घाटियों में पानी से घिरे उस उंचे स्थल से लिया जाता है, जिसके चारों ओर जल भरा होता है। लेकिन अब उष्मा-द्वीप वह शहरी इलाके

कहलाने लगे हैं, जो बड़े तापमान से झुलझ रहे हैं।

सीएसई ने देश में अलग-अलग जलवायु वाले नौ शहरों के अध्ययन में पाया कि जयपुर जैसे शहर में ज्यादा तापमान वाले दिनों में शहर का 99.52 प्रतिशत हिस्सा गर्म हवाओं के केंद्र में आकर उष्मा-द्वीप बन जाता है। सतत आवास कार्यक्रम (सस्टेनेबल हैबिटैट प्रोग्राम) के निदेशक रजनी सरीन का कहना है कि हीट सेंटर उस क्षेत्र को कहते हैं जहां जमीनी सतह का तापमान (एलएसटी) छह साल या उससे अधिक समय में बार-बार मैदानी इलाकों में 45 डिग्री से उपर दर्ज किया जा रहा है। महानगरों में हरियाली और जल-संरचनाओं का क्षेत्र कम होने से हीट सेंटर का विस्तार हो रहा है। खासतौर से शहरों में जो तत्व हरियाली और अद्रता बनाए रखते थे, जिनमें तालाब, नदी-झीलें शामिल हैं का अस्तित्व सिमटता जा रहा है। यह जलभराव गर्मी से बचाव करता था। इनके सिमटने से शहरों में और शहरों के आस-पास बंजर भूमि और ईंट, सीमेंट, कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं। जो गर्मी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीएसई ने नागपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर में यह सर्वेक्षण किया है। लेकिन जिन शहरों में इस नजरिए से सर्वे नहीं हो पाया है, वे भी ऐसे ही हालातों के शिकार हो सकते है?

मानव निर्मित प्रदूषण से जुड़ी इस आपदा के कारणों में आधुनिक विकास और बढ़ता शहरीकरण है। इन्हीं कारणों से हवाएं आवारा होकर लू का रूप लेने लगी हैं। लेकिन हवाएं भी भला आवारा होती हैं? वे तेज, गर्म व प्रचंड होती हैं। जब प्रचंड से प्रचंडतम होती हैं तो अपने प्रवाह में समुद्री तूफान और आंधी बन जाती हैं। सुनामी जैसे तूफान इन्हीं आवारा हवाओं के दुष्परिणाम हैं। अमेरिका के नेशनल ओसियानिक एंड एटमासफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ही नहीं दक्षिण एशिया के कई देश गरम हवाओं से जूझ रहे हैं। इन देशों में गरम हवाएं चलने की आशंका 45 गुना बढ़ गई है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल है। वियतनाम में तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि गर्मी की वजह से कई तालाब पूरी तरह सूख गए हैं और लाखों टन मछलियां मर गई हैं। सरकार ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। पश्चिम एशिया के देश सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, जार्डन और लैबनान में गरम हवाएं पांच गुना बढ़ सकती हैं। एशिया में घातक गरम हवाएं लगातार चलने का यह तीसरा वर्ष है। इसकी एक वजह अलनीनो भी मानी जा रही है। प्रशांत महासागर से आने वाली गरम हवाओं की वजह से दुनिया में गरम हवाएं चल रही हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के आयोबा राज्य में गरम हवाओं के तूफान से ग्रीन फील्ड नगर में कई मौतें हो गई हैं। इस बवंडर ने शहर के एक बहुत बड़े हिस्सों को पूरी तरह तबाह कर दिया है।

आजकल आवारा पूंजी की तरह हवाएं भी आवारा होकर भारत के एक बड़े भू-भाग में मचल रही हैं। तापमान 40 से 50 डिग्री

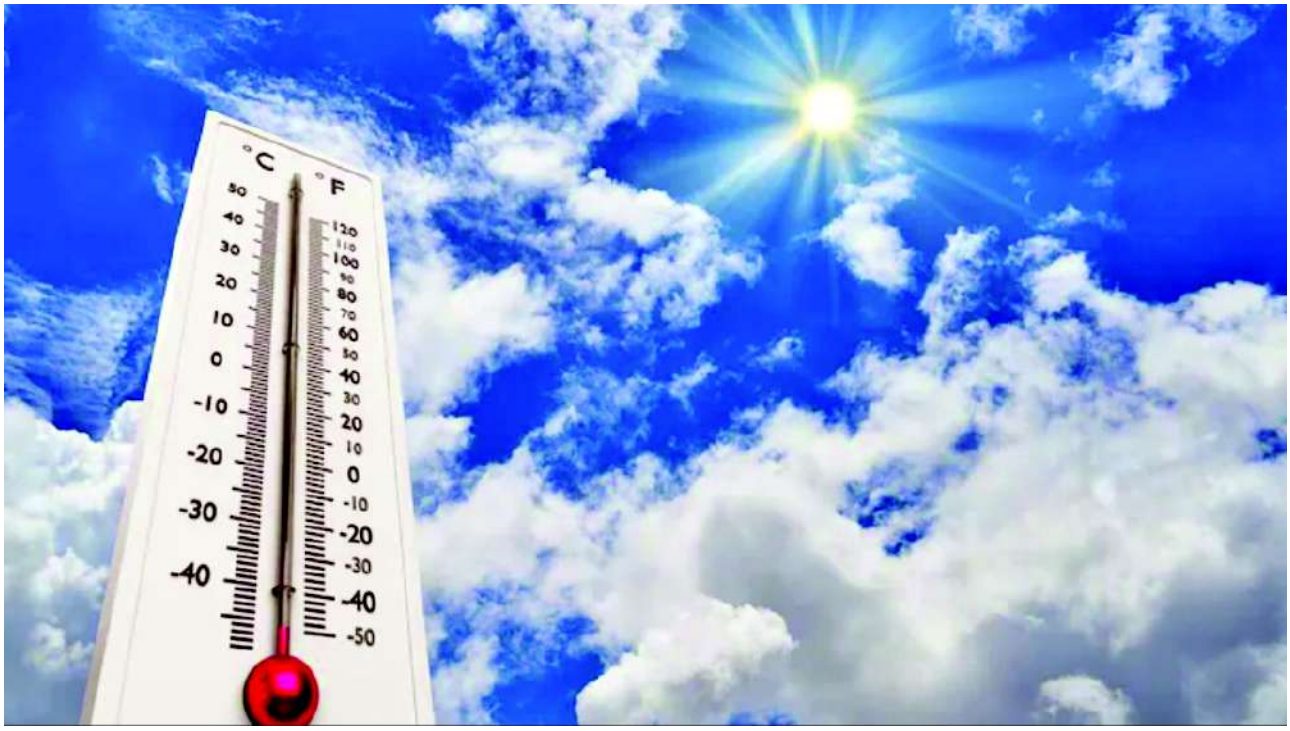

सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जो लोगों को पस्त कर रहा है। अतएव हरेक जुबान पर प्रचंड धूप और गर्मी जैसे बोल आमफहम हो गए हैं। हालांकि लू और प्रचंड गर्मी के बीच भी एक अंतर होता है। गर्मी के मौसम में ऐसे क्षेत्र जहां तापमान, औसत तापमान से कहीं ज्यादा हो और पांच दिन तक यही स्थिति यथावत बनी रहे तो इसे 'लू' कहने लगते हैं। मौसम की इस असहनीय विलक्षण दशा में नमी भी समाहित हो जाती है। यही सर्द-गर्म थपेड़े लू की पीड़ा और रोग का कारण बन जाते हैं। किसी भी क्षेत्र का औसत तापमान, किस मौसम में कितना होगा, इसकी गणना एवं मूल्यांकन पिछले 30 साल के आंकड़ो के आधार पर की जाती है। वायुमंडल में गर्म हवाएं आमतौर से क्षेत्र विशेष में अधिक दबाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। वैसे तेज गर्मी और लू पर्यावरण और बारिश के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा मानसून इन्हीं आवारा हवाओं का पर्याय माना जाता है, क्योंकि तपिश और बारिश में गहरा अंतर्संबंध है।

हवाएं गर्म या आवारा हो जाने का प्रमुख कारण ऋतु चक्र का उलटफेर और भूतापीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) का औसत से ज्यादा बढ़ना है। इसीलिए वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रलय धरती से नहीं आकाशीय गर्मी से आएगी। आकाश को हम निरीह और खोखला मानते हैं, किंतु वास्तव में यह खोखला है नहीं। भारतीय दर्शन में इसे पांचवां तत्व यूं ही नहीं माना गया है। सच्चाई है कि यदि परमात्मा ने आकाश तत्व की उत्पत्ति नहीं की होती, तो संभवतः आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। हम श्वास भी नहीं ले पाते। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व आकाश से उर्जा लेकर ही क्रियाशील रहते हैं। ये सभी तत्व परस्पर परावलंबी हैं। यानी किसी एक तत्व का वजूद क्षीण होगा तो अन्य को भी छीजने की इसी अवस्था से गुजरना होगा। प्रत्येक प्राणी के शरीर में आंतरिक स्फूर्ति एवं प्रसन्नता की अनुभूति आकाश तत्व से ही संभव होती है, इसलिए इसे बह्मतत्व भी कहा गया है। अतएव प्रकृति के संरक्षण के लिए सुख के भौतिकवादी उपकरणों से मुक्ति की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ एकाधिकारवादी देश एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भूमंडलीकरण का मुखौटा लगाकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से दुनिया की छत यानी ओजोन परत में छेद को चौड़ा करने में लगे हैं। यह छेद जितना विस्तृत होगा वैश्विक तापमान उसी अनुपात में अनियंत्रित व असंतुलित होगा। नतीजतन केवल हवाएं ही आवारा नहीं होंगी, प्रकृति के अन्य तत्व मचलने लग जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है और जलीय स्रोतों पर दोहन का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति से उत्पन्न कठिन हालातों के साथ जीवन यापन की आदत डालनी होगी तथा पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से ध्यान देना होगा।

Why RSS is scapegoating Modi for failing to win a majority

Ravikant

The Bharatiya Janata Party (BJP) did not win a majority in the recently concluded general elections but Narendra Modi succeeded in forming a government. Since the announcement of the results, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has been incessantly attacking Modi. It has been blaming Modi's arrogance for the BJP's defeat. Even RSS supremo Mohan Bhagwat and key functionary Indresh Kumar have blamed Modi's arrogance for the defeat, which they said is justice done by Lord Ram. Is the RSS really opposing Modi?

These statements are being interpreted as evidence of a growing rift between the RSS and Modi. Some analysts are even foretelling a split in the BJP. Modi and Yogi drifting apart and the BJP's silence on poll results are also being seen in the context of the RSS's statements. It is also being said that the RSS wants to foreground Yogi to end the domination of the Modi-Shah Gujarat lobby. Should the RSS's statements be taken at face value? Is it saying what it means?

It is often said that RSS does the exact opposite of what it says. It is also said that the organization has multiple mouths. This is the context in which the statements of Mohan Bhagwat and Indresh Kumar need to

be examined.

The fact is that the RSS is trying to shift focus away from the victory of the Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) to Modi's defeat. The INDIA alliance gave a tough fight to the BJP, despite commanding much less resources than the BJP. The corporate media was under Modi's thumb; he had an unlimited supply of money and had unleashed agencies like the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation to undermine the opposition's narrative. But the opposition got hold of a potent issue. In fact, it was presented to the opposition by the BJP on a platter. The talk of changing the Constitution was the BJP's undoing. Leaders like Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Sharad Pawar, Tejashwi Yadav, Arvind Kejriwal, Akhilesh Yadav and Uddhav Thackeray repeatedly referred to Ambedkar and the Constitution in their poll speeches. That the Indian Constitution and democracy are under threat became the theme of the election campaign. Rahul Gandhi was the one who gave a sharp edge to the issue. In every public meeting, holding a copy of the Constitution in his hands, he talked about reservations for the Dalits, the Adivasis and the OBCs about representation to all sections, caste census, land rights and dignity and respect. This punctured Modi's well-oiled propaganda machine. Things came to such a pass that Modi had to say that even if Ambedkar returns, he won't be able to change the Constitution.

The twin issues of social justice and reservation gained such prominence that Modi, throwing the Election Model Code of Conduct to the winds, began resorting to whipping up passions on the Hindu-Muslim issue. He started saying things like caste census would lead to Hindu women losing their mangalsutras. Plumbing new depths, he even began telling people that if the Congress formed its government, it would take away buffaloes from their homes! This was not something that was said on the spur of the moment. Neither was it a sign of the prime minister losing his sanity. It was shrewd politics. The mangalsutra and buffalo references were meant to scare the poor farming community. And who makes up this community? Dalits, OBCs and Adivasis.

Next, Modi gave a communal

colour to reservations. He claimed that the INDIA alliance wanted to give away reservation quotas meant for the Dalits, the Adivasis and the OBCs, to the Muslims and that he would not allow any such thing to happen.

One may very well ask why Modi didn't remember the Constitution or Ambedkar when his government introduced the Economically Weaker Sections quota in reservations just before the 2019 elections. The Savarna Muslims are also eligible for this quota.

Be that as it may, Modi, who gave more than 80 interviews to different media outlets at lightning speed, tried hard to push the INDIA alliance's planks of saving the Constitution and social justice to the margins of the poll discourse. But the results show that he did not succeed. The BJP was confined to 240 seats and the Congress won 99 seats, almost doubling its earlier tally. In Uttar Pradesh, the Congress and the Samajwadi Party threw cold water on the ambitions of the BJP. In Rajasthan, the party drew a blank in the Dalit- and the Adivasi-dominated constituencies.

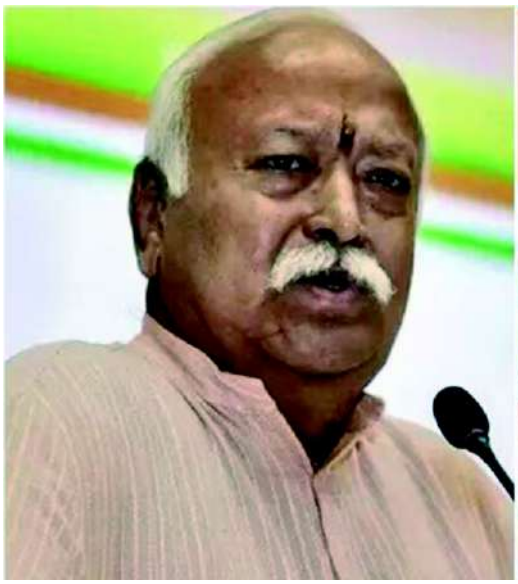

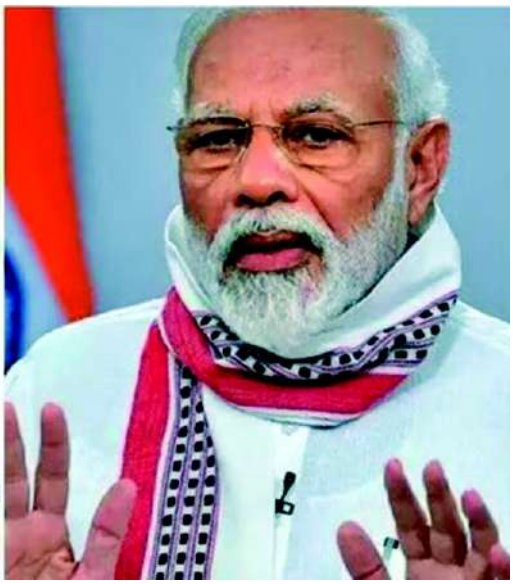

The INDIA alliance may have failed to form its government but its agenda has won. The victory of the issues of social justice and saving the Constitution is not only a setback for the BJP but also a big snub to the RSS. The dream of the RSS of drafting and promulgating a new Constitution based on the Manusmriti lies in tatters. The RSS is unable to digest its defeat and that of the BJP. And that is why, to marginalize the INDIA alliance's narrative, it is repeatedly attributing the BJP's defeat to Modi's arrogance.

The 2024 General Elections were important for Modi. But these elections were even more important for the RSS. It wanted to win the elections being held on the eve of its centenary at any cost. Those who say that the RSS had withdrawn from the BJP's campaign or that it did cooperate with Modi are either fools or scoundrels. The RSS's statements and postures after the poll results are part of a well-thought-out strategy. We need to understand its chronology. First, Bhagwat indirectly claims that Modi's arrogance led to BJP's defeat. Then, Indresh Kumar gives a new colour to it. He says that, because the devotees of Ram had become arrogant, the Lord stopped them at 240 while the anti-Ram forces were confined to 234; thus, Ram did justice with both the parties.

Just spare a moment to analyze Indresh's statement. Is India a theocracy? Dividing the electorate into devotees and opponents of Ram is a conspiracy. It is a stratagem to reduce the value of the vote to zero. Is Ram deciding who will win and who will lose polls and who will form the government of this country? This statement is not only anti-democracy and anti-Constitution but it also gives short shrift to the rights of the citizens. It is an out-and-out insult of Ambedkar's Constitution.

The RSS wants Ram to be the centrepiece of the poll and its result. This, when the BJP has even lost from Faizabad (Ayodhya). Ayodhya voted for social and economic justice and defeated pro-corporate Hindutva. A Dalit winning from a general (unreserved) seat is not an ordinary development. This was what Ambedkar and Kanshi Ram dreamt of. And this is just the beginning. There are hundreds of general seats from where Dalit candidates can win. It is clear that the Ayodhya experiment will be replicated. In a democracy, the voters are kings. And it is to undermine the power of the vote that the RSS wants to explain the victories and the defeats in terms of Ram's will.

SC-ST victims of atrocities denied at least Rs. 1140 crores in relief over the period 2015-22, finds study

The monetary relief pertains to a national scheme instituted early in the first term of the Narendra Modi-led NDA government at the Centre

FP Desk

A study by the Chennai-based Citizens' Vigilance and Monitoring Committee (CVMC) has found that over the period 2015-22, a sum of Rs.1140 crores in immediate monetary relief was denied to those verified as victims of atrocities under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989. According to the National Crime Records Bureau's annual reports there are 44377 recorded cases of murder, rape and arson under the Act over this period.

The monetary relief pertains to the Dr Ambedkar National Relief for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Victims of Atrocities Scheme (DANVAS) instituted early in the first term of the Narendra Modi-led National Democratic Alliance government at the Centre. DANVAS was put in place after a review of the existing monetary relief being provided under the SC-ST Act 1989 with equal contributions from the government and the Centre found that the relief wasn't reaching the victims because the states claimed they did not have

Dr Ambedkar Foundation Instant monetary relief (Murder, Rape, Arson)

Year	Victims	Disbursed	% denied	Amount due (?)	Amount disbursed (?)	Amount denied (?)	% denied
2015	4,385	84	98.10%	116,20,00,000	25,250,000	1,136,750,000	97.83%
2016	4,653	60	98.72%	123,27,00,000	18,400,000	1,214,300,000	98.51%
2017	4,887	24	99.50%	125,81,00,000	7,780,000	1,250,320,000	99.38%
2018	5,128	57	98.89%	134,10,00,000	17,883,750	1,323,116,250	98.67%
2019	6,004	26	99.56%	156,63,00,000	8,606,250	1,557,693,750	99.45%
2020	5,734	6	99.90%	148,20,00,000	2,250,000	1,479,750,000	99.87%
2021	6,598			169,67,00,000			
2022	6,988			177,42,00,000			
Total	44,377			1,151,30,00,000			

adequate funds to contribute their share. Under the new scheme, the Dr Ambedkar Foundation, an autonomous society under the Union Ministry of Social Justice and Empowerment, was empowered to release the funds instantly to the victims of murder (?500,000 for the murder of earning members, Rs.200,000 for the murder of others), rape (Rs.200,000), arson (Rs.300,000), and permanent disability (Rs.300,000 for earning members, Rs.150,000 for others) that have been registered under the SC-ST Act on receipt of an application and supporting documents the FIR and the autopsy report/medical certificate from the district magistrate under whose jurisdiction the crime was committed.

Yet, after studying the Dr Ambedkar Foundation annual reports, the reply in Parliament and NCRB annual reports, Deepthi Sukumar and Geetha Vani of CVMC discovered that less than 2 per cent of the eligible victims had been provided relief from 2015 to 2020. Since the data on the number of beneficiaries in 2021 and 2022 was unavailable, they assumed 50 beneficiaries each in both years (which was close to an average number of beneficiaries in the previous years). The figure they arrived at was “44,000 victims denied Rs 1,140 crores as a conservative estimate”. This is a conservative estimate because the NCRB annual reports do not have data on instances of permanent disability inflicted.

But the final nail in the coffin was that on 13 January 2023 Dr Ambedkar Foundation published a notification (DAF/1/2023-ADMIN-DAF 1/25058/2023 EO-64933) on its website announcing that DANVAS (along with the inter-caste marriage scheme) would be merged with the centrally sponsored scheme for the implementation of the Protection of Civil Rights Act 1955 and Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 run by the Ministry of Social Justice & Empowerment with effect from 1 April 2023. The victims were given time till 28 February 2023 to apply for relief and the Foundation gave itself time till 31 March 2023 to process any pending applications. Deepthi Sukumar and Geetha Vani write, "On 26 February 2024 circular 11011/14/2023-PCR (DESK) from the MoSJ&E sent to all state nodal officers and the union ministries of home, tribal affairs, and law and justice detailed the formats to apply for the centrally sponsored schemes. Curiously, the formats do not have anything on DANVAS."

But why DANVAS was so underutilized and thousands of SCs and STs who were victims of atrocities denied monetary relief as part of the scheme is still a mystery. The onus on applying for relief fell on the district magistrate concerned and not on the victim and as Deepthi Sukumar and Geetha Vani note, the meticulous procedure followed in registering a case under the SC-ST Act ensures that the documentation required to prove eligibility for DANVAS is readily available to the district magistrate. "Any atrocity information received is recorded under Rule 5, and an officer of rank deputy superintendent of police or subdivisional magistrate or higher conducts an inquiry immediately under Rule 6. On confirmation, both the superintendent of police and the district magistrate conduct a spot inspection under Rule 12(1). The superintendent of police ensures that the FIR is registered with the right sections." But an annual DANVAS budget that wouldn't cover even a tiny fraction of the victims exposes the lack of intent on the part of the government from the get-go. The scheme was designed to fail.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.